कार्यकारी परिषद की दिनांक 28 जून 2014 को 9:00 बजे पूर्वाहन कंचनजंघा प्रबंधन खंड, सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक में आयोजित 20वीं बैठक के कार्यवृत्त

निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित थे :

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | **प्रो टी.बी.सुब्बा** | - | **अध्यक्ष** |
| 2. | **श्री सोनाम बांगडी** | - | **सदस्य** |
| 3. | **प्रो0 एस.सी.सिंह** | - | **सदस्य** |
| 4. | **डा0 (श्रीमती) किरण दत्तार** | - | **सदस्य** |
| 5. | **प्रो0 अशुम गुप्ता** | - | **सदस्य** |
| 6. | **प्रो0 अतुल शर्मा** | - | **सदस्य** |
| 7. | **डा0 आर आर राव** | - | **सदस्य** |
| 8. | **डा0 धनीराज छेत्री** | - | **सदस्य** |
| 9. | **प्रो0 जे □ी तामांग** | - | **सदस्य** |
| 10. | **प्रो0 प्रता□ चंद्र प्रधान** | - | **सदस्य** |
| 11. | **डा0 सोहेल फिरदौस** | - | **सदस्य** |
| 12. | **डा0 सुबीर मुखो□ाध्याय** | - | **सदस्य** |
| 13. | **प्रो0 इर्साद गुलाम अहमद** | - | **सदस्य** |
| 14. | **डा0 नवल किशोर □ासवान** | - | **सदस्य** |
| 15. | **श्री डी कानुनज्ञ** | - | **आमंत्रित सदस्य** |
| 16. | **श्री टी.के कॉल** | - | **सचिव** |

डा0 थामस चंडी, सचिव, एच आर डी डी का प्रतिनिधित्व श्रीमती दीपा बस्नेत, निदेशक (उच्चतर शिक्षा) एच आर डी डी सिक्किम सरकार द्वारा किया गया ।

निम्नलिखित सदस्यों से खेद पत्र प्राप्त हुए:

1. **प्रो0 ए.एन.राई**
2. **प्रो0 वी एसप्रसाद**

अध्यक्ष ने कार्यकारी परिषद के सभी सदस्यों का स्वागत किया । उन्होंने विशेषकर प्रो0 इर्साद गुलाम अहमद का स्वागत किया, जो कि बैठक में प्रथम बार डीन के अतिरिक्त वरिष्ठतम प्रोफेसर के रूप में उपस्थित हुए थे । तत्पश्चात, कार्यसूची मदों पर चर्चा आरंभ की गई ।

**भाग - 1**

**कार्यवृत्त एवं अनुवर्ती कार्रवाई रि□ोर्ट की □ुष्टि**

**ई.सी. 20.1.1: कार्यकारी □रिषद की दिनांक 31 मार्च 2014 को आयोजित 19वीं बैठक के कार्यवृत्त की □ुष्टि**

कार्यकारी परिषद की 19वीं बैठक दिनांक **31 मार्च 2014 को आयोजित की गई थी, जिनके** कार्यवृत्त को दिनांक 22 अप्रैल 2014 को सभी सदसयों के बीच परिचालित किया गया था। परिषद के किसी भी सदस्य से कोई अभ्युक्ति प्राप्त नहीं हुई थी । अध्यक्ष ने बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि हेतु प्रस्ताव रखा ।

कार्यकारी परिषद की **31 मार्च 2014** को आयोजित 19 वीं बैठक के कार्यवृत्त के तत्पश्चात पुष्टि कर ली गई ।

**ई.सी. 20.1.2: कार्यकारी □रिषद की दिनांक 31 मार्च 2014 को आयोजित 19 वीं बैठक के कार्यवृत्त □र अनुवर्ती कार्रवाई रि□ोर्ट**

रजिस्ट्रार ने कार्यसूची कागजातों के अनुलग्नक 2 में यथा प्रदत्त अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत किया । नव भर्ती किए गए संकाय सदस्यों की कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट की एक अद्यतन सूची परिचालित की गई थी । परिषद ने अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट को नोट किया ।

**भाग -2**

**रि□र्टिंग मदें**

**ई.सी. 20.2.1: नियुक्तियों के प्रस्ताव का रद्दीकरण**

**(क) डा0 सेलिना था□ा का ओ बी सी श्रेणी के अंतर्गत चयन का रद्दीकरण**

अध्यक्ष ने सूचित किया कि डा0 सेलिना थापा को इतिहास विभाग में ओ बी सी के अंतर्गत सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति हेतु प्रस्ताव जारी नहीं किया गया था (दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान यह पाया गया था कि डा0 थापा द्वारा प्रस्तुत ओ बी सी प्रमाण पत्र की वैधता मात्र पश्चिम बंगाल राज्य के क्षेत्राधीन है, तथा यह ओ बी सी की केंद्रीय सूची के अंतर्गत नहीं आता है । परिषद ने सलाह दिया कि स्क्रीनिंग एवं अंर्तवार्ता के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के उचित सत्यापन पर ध्यान दिया जाना चाहिए । डा0 सेलिना थापा के चयन के रद्दीकरण के साथ पद रिक्त हो गया है, तथा इसको पूनर्विज्ञापित किया जाएगा ।

**(ख) डा0 हरप्रीत कौर के संबंध में प्रोफेसर के □द हेतु नियुक्ति के प्रस्ताव का रद्दीकरण**

डा0 हरप्रीत कौर ने अपने दिनांक 29.05.2014 के ईमेल में वैयक्तिक कारणों से सिक्किम विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है । विश्वविद्यालय ने उनके निर्णय को स्वीकार किया है तथा बाद में नियुक्ति के प्रस्ताव को रद्द किया है । चूंकि पैनल में कोई भी प्रतीक्षासूची में नहीं है, अत: इस पद को रिक्त के रूप में चिह्नित किया है, तथा पुनर्विज्ञापित किया जाएगा ।

**(ग) सुश्री तेन्जिंग छोडेन भुटिया के सहायक के □द हेतु नियुक्ति के प्रस्ताव का रद्दीकरण**

सहायक के पद हेतु दो अभ्यर्थियों को नियुक्ति का प्रस्ताव जारी किया गया था । श्रीमती प्रभा मुखिया ने दिनांक 23.04.2014 को अपना कार्यभार ग्रहण किया । यद्यपि सुश्री तेंजिंग छोडेन भुटिया ने दिनांक 03.06.2014 को ईमेल भेजा है, जिसमें उन्होंने विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने में असमर्थता व्यक्त की है । विश्वविद्यालय ने उनके निर्णय को स्वीकार किया है, तथा बाद में उनके नियुक्ति के प्रस्ताव को रद्द किया है । चूंकि पैन में एक प्रतीक्षा सूची विद्यमान है, अत: परिषद ने सहायक के पद हेतु अगले व्यक्ति, सुश्री रेणुका छेत्री (सहाकय/163) को अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत नियुक्ति का प्रस्ताव जारी करने का अनुमोदन किया ।

**(घ) डा0 वी.रामादेवी के वाणिज्य विभाग में सहायक प्रोफेसर के □द □र नियुक्ति हेतु प्रस्ताव का रद्दीकरण**

डा0 वी रामादेवी का वाणिज्य साथ ही प्रबंधन विभाग में सहायक प्रोफेसर के रूप में चयन किया गया था, परंतु उन्होंने प्रबंधन विभाग में कार्यभार ग्रहण करने का निर्णय लिया। उनके प्रबंधन विभाग में कार्यभार ग्रहण करने के परिणामस्वरूप, वाणिज्य के सहायक प्रोफेसर के रूप में उन्हें दिया गया प्रस्ताव रद्द किया जाता है तथा इस पद का पुनर्विज्ञापन किया जाएगा ।

**टेबल मदें**

**ई.सी. 20.2.1: न्यायालय मामलें**

परिषद का सूचित किया गया कि दिनांक 17 मार्च 2013 को आयोजित 16वीं बैठक में विश्वविद्यालय से संबंधित निम्नलिखित तीन मामलों की रिपोर्ट की गई थी, जो कि सिक्किम के उच्च न्यायालय में लंबित हैं:

1. राजेन्द्र प्रसाद बनाम सिक्किम विश्वविद्यालय
2. रावंगला आस्था संगठन बनाम सिक्किम विश्वविद्यालय

3. सिक्किम विश्वविद्यालय बनाम सिक्किम राज्य मानवाधिकार आयोग

इसके बाद से एक और मामला, श्री प्रदीप कुमार राई एवं अन्य बनाम सिक्किम राज्य एवं अन्य (सिक्किम विश्वविद्यालय सहित) दर्ज किया गया था । यह मामला सिक्किम सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित है । इस मामले में दिनांक 20 जून 2014 को विवेचना के दौरान अभियोजनकर्ता (प्रदीप कुमार राई एवं अन्य) के वकील द्वारा निवेदन किया गया कि उन्हें भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत संबंधित न्यायालय में जाने के लिए रीट याचिका को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए । सिक्किम के उच्च न्यायालय द्वारा इस रीट याचिका को खारिज किया गया, क्योंकि अभियोजनकर्ता के प्रति स्वतंत्रता के साथ इसे वापस लिया गया था, जैसा कि निवेदित था ।

रावंगला आस्था संगठन बनाम सिक्किम विश्वविद्यालय के मामले में, इस रीट याचिका का दिनांक 23 जून 2014 को, अभियोजनकर्ताओं को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के प्रति सभी आवश्यक तथ्यों एवं कागजातों के साथ छ: सप्ताह की अवधि के अंतर्गत प्रतिवेदित करने की स्वाधीनता के साथ निपटाया गया । एच एच आर डी इन आरोपोंपर विचार/परीक्षा कर सकते हैं तथा यदि आवश्यक हो तथा आरोप प्रथम दृष्टया साबित होने योग्य प्रतीत होते हों, तो मामले में जांच बिठा सकते हैं तथा प्रत्यावेदन की प्राप्ति की तारीख से छ: माह की अवधि के अंतर्गत तत्कालिन कुलपति एवं तत्कालीन रजिस्ट्रार अथवा किसी अन्य अधिकारी के विरूद्ध उचित कार्यवाही प्रारंभ कर सकते हैं, जो कि दोषी पाये जाते हैं ।

भाग-3

संपुष्टि हेतु मामले

**ई.सी. 19.3.1: स्कूल बोर्डों का गठन**

परिषद न परिशिष्ट 1 में यथा प्रदत अध्ययनों के सभी स्कूलों के प्रथम स्कूल बोर्डों के गठन में कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई की संपुष्टि की ।

भाग-4

विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ मामले

**ई.सी. 20.4.1: यू जी सी द्वारा स्वीकृत गैर शिक्षण दों का सृजन**

कुलपति ने परिषद को सूचित कियाकि यू जी सी द्वारा 12वीं योजना के अंतर्गत आवंटन में विभिन्न श्रेणियों में 73 गैर-शिक्षण पदों का अनुमोदन किया गया है । इनमें से 35 पदों का सृजन परिषद द्वारा इनकी 17वीं, 18वीं एवं 19वीं बैठकों में किया गया है । विश्वविद्यालय द्वारा हाल में 61 नए नियमित संकाय सदस्यों की नियुक्ति की गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप संकाय संख्या बल लगभग 130 हो गया है । इनके विरूद्ध विश्वविद्यालय के पास मात्र 47 गैर शिक्षण कर्मचारीगण सभी कार्यव्यापारियों के प्रबंधन हेतु हैं । तथापि, छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है । विश्वविद्यालय के संकाय संख्याबल तथा छात्रों में अभिवृद्धि के परिणामस्वरूप वर्तमान में पदस्थापित गैर शिक्षण कर्मचारीगण अपर्याप्त सिद्ध हुए हैं, जिससे विश्वविद्यालय का दैन्दिनी कार्य के प्रचालन में अत्याधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है । चूंकि भर्ति समयसाधक कार्य है, इसलिए यदि पदों का सृजन समय से नहीं किया जाता है, तो यह 12वीं योजना अवधि के दौरान रिक्त रह जा सकती है ।

कुछ सदस्यों ने गैर शिक्षण कर्मचारियों के बीच व्यवसायिकता तथा उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था पर बल दिया । विचार विमर्श के बाद परिषद ने निम्नलिखित विवरणानुसार शेष 38 गैर शिक्षण पदों का सृजन का अनुमोदन किया:

| क्र.स. | पद | पे बैंड | ग्रेड पे | पदों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| **अनुसचिवीय** | | | | |
| 1 | सहायक | 9300-34800 | 4200 | 1 |
| 2 | प्रवर श्रेणी लिपिक | 5200-20200 | 2400 | 1 |
| 3 | अवर श्रेणी लिपिक | 5200 | 1900 | 4 |
| 4 | एम टी एस | 5200 | 1800 | 2 |
| 5 | ड्राइवर | 5200 | 1900 | 3 |
| **सचिवीय कार्मिक** | | | | |
| 1 | वैयक्तिक सहायक | 9300-34800 | 4200 | 2 |
| **पुस्तकालय** | | | | |
| 1 | उप पुस्तकालयाध्यक्ष | 37400-67000 | 8000 | 1 |
| 2 | सूचना वैज्ञानिक | 15600-39100 | 5400 | 1 |
| **प्रयोगशाला** | | | | |
| 1 | तकनीकी सहायक | 5200-20200 | 2800 | 7 |
| 2 | प्रयोगशाला सहायक | 5200-20200 | 2000 | 3 |
| 3 | प्रयोगशाला परिचारक | 5200-20200 | 1800 | 2 |
| **स्वास्थ्य केंद्र** | | | | |
| 1 | चिकित्सा अधिकारी | 15600-39100 | 5400 | |
| 2 | फर्माशिष्ट | 5200-20200 | 1900 | |
| **गेस्ट हाउस/हॉस्टल** | | | | |
| 1 | जन संपर्क अधिकारी | 15600-39100 | 5400 | |
| 2 | अवर श्रेणी लिपिक | 5200-20200 | 1900 | |
| 3 | कूक | 5200-20200 | 1900 | |
| 4 | किचन परिचारक | 5200-20200 | 1800 | |
| 5 | हॉस्टल परिचारक | 5200-20200 | 1800 | |

**ई.सी. 20.4.2: शिक्षण कार्मिकों की संवीदा आधार पर नियुक्ति संवीदा में विस्तार**

परिषद ने प्रो0 अनुप के दत्ता की शांति एवं संघर्ष अध्ययन तथा प्रबंधन विभाग में संवीदा आधार पर प्रोफेसर के रूप में उन्हीं शर्तों एवं निबंधनों पर नियुक्ति का अनुमोदन किया, जैसा कि विश्वविद्यालय में अन्य प्रोफेसरों को संवीदा पर लागू हैं । परिषद ने निम्नलिखित के संवीदापरक नियुक्तियों में वर्तमान शर्तों एवं निबंधनों पर उनके विरूद्ध दर्शाई गई तारीख से एक वर्ष की अवधि हेतु विस्तार भी किया:

| क्र.सं0 | नाम एवं पदनाम | विस्तार की तारीख |
|---|---|---|
| 1 | प्रो. पी.के.शर्मा, प्रोफेसर, गणित विभाग | 01/08/2014 |
| 2 | डा0 निधि बाग, सहायक प्रोफेसर, बागवानी विभाग | 01/07/2014 |
| 3 | श्रीमती परविंदर कौर, सहायक अंग्रेजी भाषा प्रयोगशाला | 01/07/2014 |

**ई.सी. 20.4.3: सिक्किम विश्वविद्यालय पूर्व छात्र संघ का गठन**

कुलपति ने परिषद को सूचित किया किविश्वविद्यालय में पूर्व छात्र संघ का गठन अभी किया जाना शेष है । पूर्व छात्र संघ सामुदायिक सेवाओं के लिए अवसर प्रदान करता है, विश्वविद्यालय के लिए सद्भावना राजदूत के रूप में कार्य करता है, प्रभावकारी संवादी के रूप में सेवा देता है, विश्वविद्यालय को परामर्श एवं समर्थन प्रदान करता है अग्रणी अनुसंधान क्षेत्रों को प्रस्तावित करता है, कैरिअर परामर्श देता है, साथ ही वित्तीय सहायता प्रदान करता है ।

विश्वविद्यालय की सांविधि 38(1) पूर्व छात्र संघ के गठन हेतु शक्ति संपन्न करता है । पूर्व छात्र संघ हेतु एक मसौदा नियमावली तथा सहयोजना का ज्ञापन का एक मसौदा परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था । विचार विमर्श के बाद परिषद ने मसौदा विनियमावली तथा पूर्व छात्र संघ का ज्ञापन, परिशिष्ट 2 पर यथा प्रदत्त अनुमोदन किया।

**ई.सी. 20.4.4: उच्चतर अध्ययनों के लिए छुट्टी**

(क) **डा0 सुदर्शन तामंग का दो वर्षों की अवधि हेतु अतिविशेष छुट्टी हेतु आवेदन पत्र**

परिषद ने चर्चा के उपरांत डा0 सुदर्शन तामंग, सहायक प्रोफेसर, रसायन शास्त्र विभाग के प्रति कोरिया इंस्टीच्यूट ऑफ मशीनरी एंड मैटेरियल, डीजोन साउथ कोरिया में विजिटिंग स्कॉलर (पोस्ट डॉक्टोरल) का प्रस्ताव होने के लिए दो वर्षों की अवधि हेतु अति विशेष छुट्टी की स्वीकृति का अनुमोदन किया ।

(ख)श्री मनोज दास का एक वर्ष की अध्ययन छुट्टी हेतु आवेदन पत्र

परिषद ने चर्चा के उपरांत श्री मनोज दास के प्रति जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली में पत्रकारिता एवं जन संचार में अपने पी एच डी कार्यक्रम का अनुसरण करने के लिए एक वर्ष की अध्ययन छुट्टी की स्वीकृति का अनुमोदन किया ।

**टेबल मदें**

**ई.सी. 20.4.5: भर्ति एवं पदोन्नति नियमावली (गैर-शिक्षण कर्मचारीगण) 2014**

इस मद को रजिस्ट्रार ने प्रस्तुत किया । उन्होंने परिषद सदस्यों को सूचित किया कि भर्ति एवं पदोन्नति नियमावली के मसौदा में निम्नलिखित लक्षण हैं:

(i) सभी पदों को विविध कैडरों में श्रेणीकृत किया गया है, यथा -

- प्रशासनिक कैडर;
- सचिवीय कैडर;
- पुस्तकालय कैडर;
- प्रयोगशाला कैडर;
- कंप्यूटर कैडर;
- ईंजीनियरी कैडर;
- सुरक्षा सेवा कैडर;
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य देखभाल कैडर;
- राजभाषा कैडर एवं
- विविध कैडर;

कुछ पृथक पदों यथा जन संपर्क अधिकारी , ड्राइवर, कुक आदि को मिसलेनियस कैडर में शामिल किया गया है ।

(ii) सीधी भरत्ति हेतु विज्ञापन का स्थापन परिभाषित किया गया है ।

(iii) सीधी भर्ति हेतु पद्धति यथा अंतवार्ता, लिखित जांच परीक्षा, लिखित जांच परीक्षा एवं अंतवार्ता; लिखित जांच परीक्षा एवं शिल्प जांच; लिखित जांच परीक्षा, शिल्प जांच एवं अंतवार्ता; के माध्यम से चयन परिभाषित किए गए हैं ।

(iv) सीधी भर्ति हेतु चयन समितियों का गठन, सीधी भर्ति एवं विभागीय पदोन्नति समितियां (डी पी सी) हेतु प्राप्त आवेदनों के लिए स्क्रीनिंग समितियों का गठन, परिभाषित किए गए हैं तथा ग्रेड पे के आधार पर श्रेणीकृत किए गए हैं ।

(v) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अब तक स्वीकृत किए गए सभी गैर शिक्षण पदों को समावेशित किया गया है ।

(vi) पदों के प्रत्येक श्रेणी हेतु भर्ति का माध्यम परिभाषित किया गया है ।

(vii) पदोन्नति हेतु योगयता मानदंड एवं पद्धति प्रत्येक पद के लिए परिभाषित किए गए हैं । जबकि, वरिष्ठ पदों के लिए वरिष्ठता सह चयन प्रस्तावित किया गया है, जिसमें चयन हेतु विधियों एवं मानदंड समग्र रूप से परिभाषित किए गए हैं । मध्य स्तरों पर पदोन्नति निम्न रूप से प्रस्तावित हैं:

- सामान्य पदोन्नति
- विभागीय प्रतियोगी परीक्षाएं

निम्न स्तरों पर पदोन्नति वरिष्ठता सह उपयुक्ता के आधार पर प्रसत्तावित हैं । परिषद ने चर्चा के उपरांत भर्ति एवं पदोन्नति नियमावली का इस शर्त पर अनुमोदन कियाकि इसे किसी एच आर विशेषज्ञ द्वारा वेटिंग करवाया जाएगा ।

**ई.सी. 20.4.6: आई सी ए आई के साथ एम ओ यू**

परिषद ने नोट किया कि भारत के चाटर्ड एकाउन्टेंट संस्थान तथा सिक्किम विश्वविद्यालय के साथ प्रस्तावित मसौदा एम ओ यू बी कॉम (आनर्स) के शीर्ष छात्र हेतु एक स्वर्ण पदक दिए जाने के लिए है1 इसके लिए आई सी ए आई विश्वविद्यालय के प्रति रू0 1,25,000/- के एक कापर्स के साथ एक स्थायी निधि प्रदान करने के लिए सहमत हुआ है। परिषद ने आई सी ए आई के साथ एम ओ यू का अनुमोदन किया ।

**ई.सी. 20.4.7: शिकायत निवारण कक्ष का समिति की रि�ोर्ट**

इस मद पर चर्चा आरंभ करने के पूर्व अध्यक्ष द्वारा डा0 सोहेल फिरदौस को इस विचार विमर्श से बार रहने को कहा गया, क्योंकि इन रिपोर्टों में उनका नाम विद्यमान था । डा0 सोहेल फिरदौस ने कक्ष से बर्हिगमन किया । तत्पश्चात अध्यक्ष ने रजिस्ट्रार इस मद को प्रस्तुत करने को कहा।

रजिस्ट्रार ने श्रीमती सोमा सरकार द्वारा महिलाओं के कक्ष के प्रति कुछ छात्रों के विरूद्ध दर्ज परिवाद का संक्षिप्त विवरण दिया, जिन लोगों ने उनका एन जे पी स्टेशन पर फोटो उतारा था , जब वे डा0 सोहेल फिरदौस के साथ जर्मनी जाने के लिए विजा प्राप्त करने हेतु यात्रा पर थी । महिलाओं के कक्ष दोनों पक्षों के कई व्यक्तियों से अभिसाक्ष्य प्राप्त करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि सुश्री सोमा सरकार द्वारा तथ्यों का म्थ्यिा

आरोपन किया गया था तथा उन्होंने महिला कक्ष को विभ्रमित किया था, तथा सुश्री सोमा सरकार के संबंध में कुछ अनुशंसाएं की गई थी ।

कुलपति ने महिला कक्ष की अनुशंसाओं पर निम्नलिखित आदेश दिया था : सुश्री सोमा सरकार महिला कक्ष द्वारा विर्निदिष्ट तारीख एवं समय पर निम्न कार्य करें:

- महिला कक्ष को विभ्रमित करने के लिए लिखित माफी मांगे; एवं
- शाहिद अली एवं डा0 अब्दुल हन्नान से उनके विरूद्ध आधारहीन आरोप मढ़ने के कारण माफी मांगे;
- उन्हें रंगीत गर्ल्स होस्टल के प्रिफेक्टशीप से पद्च्यूत किया जाए:

सुश्री सोमा सरकार ने रंगीत गर्ल्स हॉस्टल के प्रिफेक्टशीप से पद्च्यूत किए जाने का कोई शिकायत नहीं की है, परंतु कुलपति के प्रति एक प्रत्यावेदन दिया जिसमें उल्लेख किया है कि:

i. वह महिला प्रकोष्ठ के निष्कर्षों से असहमत है कि उन्होंने इन्हें विभ्रमित किया है;
ii. उनका विवरण तथ्यों पर आधारित हें कि श्री महबूब ने उनका फोटो उतारा है, जिसके बारे में उन्होंने स्वयं महिला प्रकोष्ठ के समक्ष स्वीकार किया है । यह घटना एन जे पी स्थित करीब 5.00 बजे पूर्वा0 घटी थी । जिसके कारण वह गंगटोक पहूंच सका साथ ही उसी दिन अपनी कक्षाएं भी ले सका, क्योंकि सुबह के समय में गंगटोक पहुंचने में सिर्फ चार घंटे लगते हैं ।
iii. उनके समक्ष समूह एवं वर्ग मित्रों ने उन्हें कहा कि डा0 अब्दुल मन्नान श्री महबूब एवं श्री शाहिद दोनों को उन्हें बदनाम करने तथा उसके चरित्र हनन के लिए मार्गदर्शन के लिए मुख्य कारक रहे हैं, क्योंकि मेरे मित्रों एवं सहपाठियों से उन्होंने उनके बार में जानकारी मांगी थी ।
iv. उन्हें महिला प्रकोष्ठ द्वारा इस मामले के अन्वेषण में अनुसरण की गई पद्धति के विरूद्ध गहरा आक्षेप है, क्योंकि व्यक्तियों के प्रति उचित समय के साथ मानक पद्धति के अनुसार इनके समक्ष साक्ष्य देने के लिए लिखित सूचना नहीं दी गई ।
v. किसी विशिष्ट घटना के संबंध में अन्वेषण करने की अपेक्षा, जिनके लिए परिवाद किया गया था, प्रकोष्ठ इसके पर्याप्त बाहर तथा ऐसे प्रश्न पूछे गए यथा वह कहां गई थी, वह क्यों गई थी, वह कहां ठहरी आदि:

इस प्रकार उन्होंने कुलपति से इस मामले को देखने तथा निर्णय की समीक्षा करने का अनुरोध किया था । इस मामले को शिकायत निवारण कक्ष को अध्यादेश ओ ई 6 के अंतर्गत प्रेषित किया गया था । अध्यादेश के अंतर्गत यथा उपबंधित एक समिति का गठन शिकायत निवारण कक्ष के अंतर्गत किया गया । शिकायत निवारण कक्ष की रिपोर्ट के अनुसार सुश्री वंदना प्रधान, जो कि समिति में सुश्री सोमा सरकार का प्रतिनिधित्व कर रही थी, दावेदार के शिकायत/अभियोजन के समर्थन में कोई तर्क अथवा साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रही कि उतारा गया फोओ वास्तविक रूप से विद्यार्थियों में परिचालित किया गया था । चूंकि फोटो परिचालित नहीं किए गए थे, अत: शिकायतकर्ता/अभियोजनकर्ता की यह आशंका कि इसका परिचालन द्वारा उन्हें बदनाम किया गया एवं परिणामस्वरूप उनके चरित्र का हुआ, सिद्ध नहीं किया जा कसता। समिति के सदस्यों की यह यह राय थी कि पत्र संख्या एस यू/2011/आर ई जी -03/सी ई - 23/

जी एस यू - सी एफ - 001/1384/2672 के माध्यम से जारी निर्णय/आदेश प्रतिधारित किया जाए ।

कथित पत्र सुश्री सोमा सरकार के प्रति दिनांक 22 अप्रैल 2014 को कुलपति के महिला प्रकोष्ठ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर आदेश के आधार पर जारी किया गया था तथा उन्हें निम्न प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था:

(1) महिला प्रकोष्ठ को विभ्रमित करने के एवज में लिखित माफी; एवं

(2) श्री शाहिद अली एवं डा0 अब्दुल हन्नान से उनके विरूद्ध आधारहीन आरोप लगाने के लिए माफीनामा।

इस मामले पर बारीकी से चर्चा की गई । समग्र विचार विमर्श के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर कुलपति द्वारा उचित निण्रय लिया जाए:

(1) फोटो का उतारा जाना एवं (2)फोटो परिचालित किया जाना

**ई.सी. 20.4.8: कर्मचारियों के लिए लीज र आवास**

इस मद को श्री डी0 कानुनज्ञ सलाहकार (वित्त) द्वारा प्रस्तुत किया गया । उन्होंने परिषद के समक्ष संक्षिप्त परिचय दिया कि इनकी दिनांक 8 दिसम्बर 2013 को आयोजित 18वीं बैठक में उन संवीदा जन्य कर्मचारियों सहित सभी बाह्य स्टेशन कार्मिकों के लिए किराया गत आर्थिक सहायता का अनुमोदन जो कि उचित चयन प्रक्रिया के माध्यम से गुजरे हैं, तब तक के लिए प्रदान किया गया था, जब तक कि विश्वविद्यालय कार्मिकों के लिए स्वयं के आवास व्यवस्था के साथ अपने कैंपस में स्थानांतरित नहीं हो जाता है, तथा यह पति पत्नि में से सिर्फ एक के लिए लागू होगी । निम्नलिखित सदस्यों के साथ एक समिति का गठन उच्चतर सीमा की अनुशंसा करने के लिए गठित की गई थी, जहां तक कि विश्वविद्यालय अपने गंगटोक के बाहर के कर्मचारियों को क्वार्टर के बदले में आवास उपलब्ध करवाने के लिए लीज किराया वहन करेगा :

(1) श्री डी कानुनज्ञ, सलाहकार (वित्त)

(2) डा0 एन सतयनारायण, एसोसिएट प्रोफेसर

(3) डा0 निधि सक्सेना, सहायक प्रोफेसर

(4) सुश्री ग्रेस डिचन चानकपा, सहायक रजिस्ट्रार-संयोजक

समिति ने अपने दिनांक 26 जून 2014 की रिपोर्ट में निम्नलिखित उच्चतर सीमा की अनुशंसा की थी, जहां तक कि विश्वविद्यालय गंगटोक से बाहर के अपने कर्मचारियों को आवास उपलब्ध करवाने के लिए लीज किराया वहन करेगा

| ग्रेड पे | सीमा, जहां तक कि विश्वविद्यालय एच आर ए के अतरिक्त एवं ऊपर वहन करेगा |
|---|---|
| 10,000 एवं अधिक | ₹6,000 |
| 7,600 से 10,000 तक | ₹5,000 |
| 5,400 से 7,600 तक | ₹ 3,000 |
| 4,200 से 5,400 तक | ₹2,000 |
| 1,900 से 4,200 तक | ₹1,500 |
| 1,900 तक | ₹1,000 |

परिषद ने मामले पर विचार किया एवं चर्चा के बाद इसने समिति की अनुशंसाओं का स्वीकार किया । जहां तक कि पुराने मामलों का संबंध है, परिषद ने विचार विमर्श के बाद

निणर्य लिया कि उन्हें पुरानी दरों पर इसका लाभ दिया जाए । समिति द्वारा अनुशंसित नए स्लैब भविष्यप्रभावी रूप से लागू होंगे ।

**ई.सी. 20.4.9: डा0 निधि सक्सेना, सहायक प्रोफेसर द्वारा रीविक्षा अवधि का समान**

प्रभारी एवं डीन द्वारा संतोषजनक कार्य निष्पादन रिपोर्ट एवं अभ्युक्तियों की दृष्टि से, परिषद ने डा0 निधि सक्सेना, सहायक प्रोफेसर की परीविक्षा को हटाने का निर्णय लिया तथा दिनांक 27.01.2014 से लागू विश्वविद्यालय में उनकी सेवाओं को स्थायी किया गया।

**भाग - 5**

**प्राधिकारी/समितियों के कार्यवृत्त**

**ई.सी. 20.5.1: शैक्षणिक रिषद की दिनांक 13 जून 2014 को आयोजित 15वीं बैठक के कार्यवृत्त**

परिषद ने शैक्षणिक परिषद की दिनांक 13 जून 2014 को आयोजित 15वीं बैठक के कार्यवृत्त (परिशिष्ट - 3) पर विचार किया तथा महाविद्यालय विकास परिषद की दिनांक 30 मई 2014 को आयोजित पहली बैठक के कार्यवृत्त का तथा दिनांक 29 मई 2014 को आयोजित संबद्धता समिति की 2री बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन करते हुए इसका अनुमोदन किया ।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई ।

| | |
|---|---|
| ह0/- | ह0/- |
| (टी.के.कौल) | (प्रो0 टी.बी.सुब्बा) |
| रजिस्ट्रार एवं सचिव | कुलपति एवं अध्यक्ष |

**परिशिष्ठ 1**

# सिक्किम विश्वविद्यालय

**(भारत के संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)**

एसयू/2014/आर ई जी-03/एस बी/2853/2710 दिनांक 24.04.2014

**अधिसूचना/19/2014**

सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम की सांविधि 15(2) तथा अध्यादेश शून्य ए 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, कुलपति निम्नलिखित सदस्यों के साथ विश्वविद्यालय के विविध स्कूलों के प्रथम स्कूल बोर्डों का गठन करते हुए हर्ष व्यक्त करते हैं:

**(i) <u>सोशल साइंसेज के स्कूल हेतु स्कूल बोर्ड</u>**

(1) डा0 नवल के पासवान,डीन स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज - अध्यक्ष
(2) स्कूलों में विभागों के प्रमुख/प्रभारीगण - सदस्य
(3) सुश्री सांग्मु थेंडुप, सहायक प्रोफेसर, इतिहास विभाग - सदस्य
(4) श्री विधान गोले, सहायक प्रोफेसर, राजनीतिशास्त्र - सदस्य
(5) डा0 बिनु सुन्दास, सहायक प्रोफेसर, समाज शास्त्र विभाग - सदस्य
(6) डा0 निधि सक्सेना, सहायक प्रोफेसर,विधि विभाग - सदस्य
(7) डा0 सेबेस्टियन एन, सहायक प्रोफेसर,अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग - सदस्य
(8) डा0 रूमा कुंडु, सहायक प्रोफेसर,अर्थशास्त्र विभाग - सदस्य
(9) डा0 साल्विन पॉल, सहायक प्रोफेसर,शांति एवं संघर्ष अध्ययन विभाग - सदस्य
(10) डा0 उत्तम लाल, सहायक प्रोफेसर,भूगोल विभाग - सदस्य
(11) डा0 विवेक तामंग, सहायक प्रोफेसर,वाणिज्य विभाग - सदस्य
(12) प्रो0 सविता पांडे, अध्यक्ष दक्षिण एशियाई अध्ययन,अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल, जेएन दिल्ली - सदस्य
(13) प्रो0 मुश्ताक ए काव, इतिहास का प्रोफेसर, सेंट्रल एशियाई अध्ययन कार्यक्रम, यूनि. ऑफ काश्मीर - सदस्य
(14) प्रो0 मोनीरूल हुसैन, समाजशास्त्र विभाग,गौहाटी विश्वविद्यालय, असम - सदस्य

**(ii) <u>व्यवसायिक अध्ययन के स्कूल हेतु स्कूल बोर्ड</u>**

(1) डा0 ए.एन शंकर, डीन व्यवसायिक अध्ययन स्कूल - अध्यक्ष
(2) स्कूलों में विभागों के प्रमुख/प्रभारीगण - सदस्य
(3) डा0 एस मणिवन्नान, एसोसिएट प्रोफेसार, बागवानी विभाग - सदस्य
(4) श्री वीर मयंक, सहायक प्रोफेसर, विधि विभाग -सदस्य
(5) प्रो0 समिरण घर, वाणिज्य विभाग, उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय, सिलीगुड़ी - सदस्य
(6) प्रो0 संजय बंधोपाध्याय, अलाउद्दीन खान प्रोफेसर,इंस्ट्रुमेंटल म्यूजिक विभाग, रविंद्र भारती विश्वविद्यालय,कोलकाता - सदस्य
(7) प्रो0 सुनील कुमार दत्ता, जन संचार विभाग, तेजपुर विश्वविद्यालय - सदस्य

**(iii) मानविकी के स्कूल हेतु स्कूल बोर्ड**

(1) डा0 सोहेल फिरदौस, डीन स्कूल ऑफ ह्यूमन साइंसेज - अध्यक्ष
(2) स्कूलों में विभागों के प्रमुख/प्रभारीगण - सदस्य
(3) डा0 नुतन कुमार एस. थिंगुजाम, सहायक प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग - सदस्य
(4) डा0 रफिउल अहमद, सहायक प्रोफेसर, भूगोल विभाग - सदस्य
(5) डा0 मनिष, एसोसएिट प्रोफेसर, अंतर्राष्ट्रीय संबध विभाग - सदस्य
(6) डा0 एन.सत्यनाराण, एसोसिएट प्रोफेसर, बॉटनी विभाग - सदस्य
(7) प्रो0 बरूण मुखोपाध्याय, बायोलॉजिकल एन्थ्रोपोलॉजी यूनिट, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता - सदस्य
(8) प्रो0 मेत्रेयी चौधुरी, हिमालियन अध्ययन केंद्र, उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय सिलीगुड़ी - सदस्य

**(iv) जीव विज्ञान के स्कूल हेतु स्कूल बोर्ड**

(1) डा0 ज्योति प्रकाश तामंग,डीन जीव विज्ञान स्कूल - अध्यक्ष
(2) स्कूलों में विभागों के प्रमुख/प्रभारीगण - सदस्य
(3) डा0 सोहेल फिरदौस, एसोसिएट प्रोफेसर, भूगोल विभाग - सदस्य
(4) डा0 सुबीर मुखोपाध्याय, एसोसिएट प्रोफेसर, भौतिकी विभाग - सदस्य

(5) डा0 धनीराज छेत्री, एसोसिएट प्रोफेसर,बॉटनी विभाग - सदस्य
(6) डा0 बी.एम तामंग, सहायक प्रोफेसर, माइक्रोबायोलॉजी विभाग - सदस्य
(7) डा0 सुजाता उपाध्याय, सहायक प्रोफेसर,बागवानी विभाग - सदस्य
(8) प्रो0 डा.डी जे भाग्यराज, एफ एन ए, प्रोफेसर(सेवानिवृत्त) एवं आई एन एस ए वरिष्ठ वैज्ञानिक, कृषि माइक्रोबायोलॉजी विभाग, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय , जी के वी के कैंपस, बंगलोर - सदस्य
(9) प्रो0 डा.एम.के पंडित, पर्यावरण अध्ययन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय - सदस्य
(10) डा0 मीन बहादुर, प्रमुख एवं एसोसिएट प्रोफेसर, प्राणीशास्त्र विभाग, उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय सिलीगुड़ी - सदस्य

**(v) <u>फिजिकल साइंसेज के स्कूल हेतु स्कूल बोर्ड</u>**

(1) डा0 सुबीर मुखोपाध्याय, डीन फिजिकल साइंसेज स्कूल - अध्यक्ष
(2) स्कूलों में विभागों के प्रमुख/प्रभारीगण - सदस्य
(3) डा; अमिताभ भट्टाचार्या, सहायक प्रोफेसर, भौतिकी विभाग - सदस्य
(4) डा0 अजय त्रिपाठी, सहायक प्रोफेसर, भौतिकी विभाग - सदस्य
(5) डा0 सोमेंद्रनाथ चक्रवर्ती, सहायक प्रोफेसर, रसायन विभाग - सदस्य
(6) डा0 निश्चल वंजारी, सहायक प्रोफेसर, भुगर्भ शास्त्र विभाग - सदस्य
(7) सुश्री रेबिका राई, सहायक प्रोफेसर, कंप्यूटर एपलिकेशन विभाग - सदस्य
(8) डा0 मंजु राणा, सहायक प्रोफेसर, बागवानी विभाग - सदस्य
(9) डा0 उत्तम लाल सहायक प्रोफेसर, भुगोल विभाग - सदस्य
(10) प्रो0 अरूण चट्टोपाध्याय, रसायनशास्त्र विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी - सदस्य
(11) प्रो0 हिमाद्री मुखर्जी, गणित विभाग, नेहु, शिलांग - सदस्य
(12) प्रो0 सोमेंद्र मोहन भट्टाचार्जी, भौतिकी संस्थान भुवनेश्वर - सदस्य

**(vi) <u>भाषा एवं साहित्य के स्कूल हेतु स्कूल बोर्ड</u>**

(1) प्रो0 प्रताप सी प्रधान, डीन, भाषा एवं साहित्य स्कूल - अध्यक्ष
(2) स्कूलों में विभागों के प्रमुख/प्रभारीगण - सदस्य
(3) डा0 ए.एन.शंकर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रमुख प्रबंधन विभाग - सदस्य
(4) डा0 सोहेल फिरदौस, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रमुख, भुगोल विभाग - सदस्य
(5) प्रो0 अपर्णा भट्टाचार्या, अंग्रेजी विभाग, गुवाहाटी विश्वविद्यालय - सदस्य
(6) प्रो0 घनश्याम नेपाल, नेपाली विभाग, उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय, सिलीगुड़ी, - सदस्य

डीन, विभाग के प्रमुख एवं प्रोफेसर के अतिरिक्त अन्य सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्षों के लिए होगा ।

बोर्ड के कार्य एवं शक्तियां स्कूल बोर्डों पर अध्यादेश में यथानिर्धारित होंगे ।

ह0/-
(टी.के.कौल)
रजिस्ट्रार

वितरण

6) वी सी का पी एस - कुलपति के सूचनार्थ
7) रजिस्ट्रार का पी एस - रजिस्ट्रार के सूचनार्थ
8) सभी संबंधित सदस्यगण
9) कार्यालय प्रति
10) गार्ड फाईल

# सिक्किम एल्यूमिनि एसोसिएशन का नियमन

1. परिभाषाएं:

(क) शासकीय निकाय का अर्थ वह निकाय है, जो विनियमावली के अंतर्गत सोशाइटी के कार्यव्यापार का प्रबंधन करेगा ।

(ख) सदस्य का अर्थ वह व्यक्ति अथवा संस्थान अथवा कार्पोरेट बॉडी है, जो कि सोसाइटी में सदस्य के रूप में नामांकित किए गए हैं ।

(ग) संगठन का ज्ञापन का अर्थ दस्तावेजों के वर्तमान समुच्चय के भाग - 1 के अंतर्गत साथ ही शासकीय निकाय के प्रथम सदस्यों के नाम एवं उद्देश्यों, जो कि इसमें सम्मिलित किए गए हैं, संगठनों का ज्ञापन है ।

(घ) सभापति (अथवा अध्यक्ष अथवा चेयरपर्सन) जेसा कि मामला हो) का अर्थ औपचारिक प्रमुख है,तथा इसमें वह सम्मिलित है, जो कि फिलहाल औपचारिक प्रमुख के रूप में कार्यरत है ।

(ङ) उपसभापति (कार्यकारी अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष अथवा उप चेयरपर्सन जैसा कि मामला हो) का अर्थ उनसे है, जो कि औपचारिक प्रमुख के बाद दूसरा है तथा नियमित औपचारिक प्रमुख की अनुपस्थिति में औपचारिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है ।

(च) विनियमावली का अर्थ वर्तमान दस्तावेज है ।

(छ) सचिव अथवा महासचिव का अर्थ सोसाइटी साथ ही शासकीय निकाय का प्रधान कार्यकारी अधिकारी है ।

(ज) सहायक सचिव का अर्थ नियमित प्रधान कार्यकारी अधिकारी के अनुपलब्ध रहने के मामले में सोसाइटी का प्रधान कार्यकारी अधिकारी है।

(झ) कोषाध्यक्ष का अर्थ वह व्यक्ति है, जो सोसाइटी की निधियों के प्रबंधन का उस सीमा तक पर्यवेक्षण करेगा, जहां तक कि उसे शासकीय निकाय द्वारा शक्तिसंपन्न किया जाता है ।

2. शासकीय निकाय

**2.1 शासकीय निकाय का संगठन**

शासकीय निकाय में न्यूनतम 7 सदस्य होंगे ।कार्यालय कार्यपालकों में सभापति (अथवा अध्यक्ष अथवा चेयरपर्सन) उपसभापति (अथवा कार्यकारी सभापतिगण अथवा उप सभापति अथवा उप चेयरपर्सन), सचिव (महासचिव), सहायक सचिव एवं कोषाध्यक्ष सम्मिलित होंगे। शेष व्यक्तिगण शासकीय निकाय के सदस्य होंगे ।

**2.2 चुनाव अथवा नियुक्ति का तरीका:**

शासकीय निकाय के सदस्यों का चुनाव आम सदस्यों द्वारा प्रत्येक तीन वर्ष (अथवा वर्ष के विशिष्ट संख्या के नियमित अंतराल पर) आयोजित वार्षिक सभा में किया जाएगा । कार्यालय कार्यपालकों के पद की संख्या के बराबर समान संख्या में निर्वाचित सदस्यगणों को वार्षिक आम सभा में अथवा नव निर्वाचित सदस्यों के शासकीय निकाय की प्रथम बैठक में विभिन्न कार्यपालक पदों पर नियुक्त किया जाएगा ।

शासकीय निकाय के किसी सदस्य को स्वत: अनुप्रयुक्त तरीके से हटाया जाएगा, यदि संबंधित सदस्य अपने कार्यव्ययवहार के कारण अयोग्य ठहराए जाते हैं ।

शासकीय निकाय के किसी सदस्य को ऐसी समाज विरोधी गतिविधियों के कारण भी हटाया जा सकता है, जो कि सोशाइटी के हित के प्रति प्रतिकूल प्रभावी हो, यद्यपि, ऐसे मामले में, संबंधित सदस्य को कारण बताओ नोटिस आदि जारी करके अपने बचाव के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाएगा । कारण बताओं नोटिस का प्रत्युत्तर इसकी प्राप्ति के तीन सप्ताह के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाएगा । तथा इसका परीक्षण शासकीय निकाय द्वारा किया जाएगा । यदि सदस्य तीन सप्ताह के अंतर्गत प्रत्युत्तर देने में असमर्थ रहता है, तो शासकीय निकाय सदस्य की समाज विरोधी गतिविधियों के साक्ष्य की पर्याप्तता के संबंध में अभिलेखों तथा कागजातों का परीक्षण करेगा । संबंधित सदस्य के हटाए जाने के बारे में शासकीय निकाय का निर्णय उसपर बाध्यकर होगा । यद्यपि, शासकीय निकाय द्वारा सदस्य के हटाए जाने को बाद में वापस किए जाने के मामले में कोई परिणामिक क्षति अथवा हानि नहीं होने दिया जाएगा ।

**2.3 शासकीय निकाय के सदस्यों, सभाति, सचिव एवं अन्य अधिकारियों का कार्यकाल:**

कार्यालय का कार्यकाल 3 वर्ष (अथवा वर्ष की वह संख्या, जो कि निर्धारित किया जाए) तथा उपरोक्त 2.2 के समनुरूप होगा ।

पुराना शासकीय निकाय अपना प्रभार नव निर्वाचित शासकीय निकाय को चुनाव की तारीख से 30 दिनों के अंतर्गत सौंप देगा ।

## 3. <u>सदस्यता</u>

### 3.1 सदस्यता के प्रति नामांकन:

कोई भी व्यक्ति कृत्रिमन्यायायिक व्यक्ति सहित, जो किसी लिंग, जाति अथवा धर्म के होते हुए भी करार में प्रविष्टि होने के योग्य हैं, सोशाइटी के एक सदस्य के रूप में नामांकित किए जा सकते हैं , वशर्ते कि वह संगठन के ज्ञापन एवं सोशाइटी की विनियमावली के अंतर्गत मार्गदर्शित होने के लिए सहमत होते / होती हैं ।
शासकीय निकाय यह संतुष्टि कर लेगा कि नामांकित सदस्य की संगठन के उद्देश्यों की अभिवृद्धि में अभिरूचि है तथा इसके द्वारा शासकीय निकाय किसी भी व्यक्ति को सदस्य के रूप में नामांकित करने अथवा नहीं करने के लिए अंतिम प्राधिकार होगा ।

उपरोक्त शासकीय निकाय के प्रथम सदस्यों पर लागू नहीं होगा, क्योंकि सोशाइटी के पंजीकरण के दौरान सोशाइटी और जब तक कि नए सदस्यों को नामांकित नहीं किया जाता है, एक मात्र सदस्यगण होते हैं ।

3.2 सदस्यां का पदत्याग एवं हटाया जाना अथवा सदस्यता की स्वत: समाप्ति :
शासकीय निकाय के सदस्यों पर यथा लागू पैरा 2.2 सोशाइटी के सभी सदस्यों पर लागू होगा ।

3.3 सदस्यों के वर्ग:

(क) **व्यक्तिगत सदस्य:** उपरोक्त पैरा 3.1 के अनुसार सोशाइटी का एक सदस्य होने के लिए योग्य कोई व्यक्ति निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक का एक व्यक्तिगत सदस्य कहलाएगा, अर्थात:

(i) साधारण सदस्य: सोशाइटी द्वारा समय समय पर यथा निर्धारित साधारण सदस्यता शुल्क का भुगतान करके, तथा वोट देने के अधिकार का उपभोग करके:

(ii) मानद सदस्य: वोटिंग अधिकार के वगैर सम्मान अथवा आदर हेतु प्रस्तावित सदस्यता को स्वीकार करके

(iii) एसोसिएट सदस्य: आवधिक वांछनीय शुल्क का भुगतान करके, जो कि सोशाइटी द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाता है, वोटिंग अधिकार के बगैर किन्हीं सेवाओं के उपभोग हेतु स्वयं को योग्य बनाने पर

(iv) जीवन पर्यन्त सदस्य: सोसाइटी द्वारा समय समय पर यथानिर्धारित जीवनपर्यन्त सदस्यता शुल्क का भुगतान करके, तथा वोटिंग अधिकार का उपभोग करके

(ख) संस्थानिक (अथवा कारपोरेट) सदस्य: सोसाइटी के उद्देश्यों की अभिवृद्धि एवं प्रगति से अभिरूचि रखने वाला कोई कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति अथवा निकाय कार्पोरेट संस्थानिक (अथवा कारपोरेट) सदस्य सोसाइटी द्वारा समय समय पर यथानिर्धारित ऐसे सदसयता शुल्क का भुगतान करके बन सकता है । मकुख्य कार्यकारी अथवा संबंधित सोसाइटी द्वारा यथा नामित कोई अन्य अधिकारी सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करेगा तथा सोसाइटी के पक्ष में वोट करने के अधिकार का उपभोग करेगा ।

3.4 सदस्यों के अधिकारी एवं कर्तव्य:

(क) सोसाइटी के निर्वाचन में वोट कर सकता है, अथवा निर्वाचित हो सकता है । (यदि सदस्य वोटंग का अधिकार रखता है )

(ख) सोसाइटी के सुधार हेतु तरीके का सुझाव कर सकता है ।

(ग) पूर्व अनुमति द्वारा लेखाओं अथवा कार्यवाहियों की परीक्षा कर सकता है

(घ) सदस्यता से संबंधित सभी देयता का समय से निपटान कर सकता है ।

(ङ) स्व महत्व को रख सकता है तथा सोसाइटी के उच्च महत्व को धारित कर सकता है ।

## 4. <u>सदस्यों के रजिस्ट्रार का अनुरक्षण तथा सदस्यों द्वारा इनकी निरीक्षण हेतु सुविधाएं:</u>

सोसाइटी सदस्यों के रजिस्टर का अनुरक्षण करेगा, तथा कोई सदस्य इस रजिस्टर की मांग कर सकता है, तथा पंजीकृत कार्यालय में निर्धारित तारीख एवं समय पर उनके निरीक्षण हेतु रजिस्टर को खोला जाएगा ।

5. <u>सोसाइटी की संपत्ति का सुरक्षित अभिरक्षण , सोसाइटी के धन के रखरखाव एवं निदेश सहित:</u>

(क) सोसाइटी की संपत्ति शासकीय निकाय में निहित मानी जाएगी एवं शासकीय निकाय इसके कार्यव्यवहार का उचित प्रबंधन करेगा ।

(ख) सोसाइटी की निधियां एवं धन बैंक डाकर घर अथवा अन्य संस्थानों में रखे अथवा निवेशित किए जाएंगे, जैसा कि सोसाइटी के शासकीय निकाय द्वारा समय समय पर सोसाइटी के सर्वोत्तम हित में निर्णय लिया जाता है ।

(ग) ऐसी वित्तीय लेखाओं का प्रचालन सचिव एवं कोषाध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा ।

6. <u>बैठक में निर्वाचन :</u>

6.1 बैठकों के वर्ग एवं बैठकों का आयोजन

(क) **शासकीय निकाय बैठक:** शासकीय निकाय की कम से कम एक बैठक एक वर्ष में आयोजित की जाएगी । सदस्यों में से 50% से अधिक शासकीय निकाय को बैठक में बुलाने की स्थिति में होंगे, जो कि सचिव द्वारा 7 दिनों के अंतर्गत आयोजित की जाएगा, यदि ऐसा नहीं हुआ तो मांगकर्तागण स्वयं ऐसी बैठक का आयोजन करेंगे तथा बैठक के निर्णय शासकीय निकाय पर बाध्यकर होंगे ।

(ख) **वार्षिक आम सभा:** वार्षिक आम सभा का आयोजन सचिव द्वारा प्रत्येक वर्ष किया जाएगा । बैठक की कार्यसूची में (i) गत वार्षिक आम सभा कि कार्यवाहियों की पुष्टि (ii) सोसाइटी की गतिविधि पर वार्षिक रिपोर्ट की स्वीकार्यता (iii) तत्काल बीते लेखांकन वर्ष की लेखापरीक्षा कृत्य लेखाओं की स्वीकार्यता, (iv) कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय एवं (v) निर्वाचन यदि लागू हो, सम्मिलित होंगे।

(ग) **असाधारण आमसभा:** शासकीय निकाय, यदि भविष्य में अगली वार्षिक आमसभा आयोजन नहीं हो, तो एक असाधारण आमसभा का आयोजन करेगा, जिसमें ऐसे मुद्दे उठाए जाएंगे जो कि आम सदस्यों की भागीदारी की अपेक्षा रखता है, यथा सांविधिक संकट का निपटारा ऐसे विषयों का निपटारा, जो कि सोसाइटी के हित के प्रति हानि

कर सकता है, सहयोजन के ज्ञापन अथवा सोसाइटी की विनियमावली आदि में वांछित कोई परिवर्तन अथवा संशोधन आदि।

(घ) **मांग र विशेष आमसभा**: वोटिंग अधिकार प्राप्त कुल सदस्यों में से दो तिहाई से अधिक ऐसी बैठक की मांग कर सकते हैं । शासकीय निकाय ऐसी बैठक का आयोजन मांग की तारीख से 4 सप्ताह के अंतर्गत करेगा । शासकीय निकाय द्वारा ऐसी बैठक के आयोजन नहीं करने के मामले में, मांगकर्तागण स्वयं से बैठक आहूत करेंगे तथा बैठक में लिए गए निर्णय सोसाइटी के लिए बाध्यकारी होंगे ।

6.2 कोरम:
व्यक्तिगत रूप से उपस्थित एक तिहाई सदस्यगण उपरोक्त 6.1 के अंतर्गत वर्णित सभी चार वर्गों की बैठकों के लिए कोरम का गठन करेंगे ।

6.3 निर्वाचन की विधि:
वार्षिक आम सभा में चुनाव हेतु वोटिंग के मामले में बैठक का अध्यक्ष वोटिंग की विधि के बारे में एवं चुनाव के तरीकों को स्पष्ट करेंगे । अन्य बैठकों के मामले में वोटिंग तभी लागू होगा, जब निर्णय प्रक्रिया के किसी मुद्दे में बराबरी का मत होता है । संबंधित बैठकों के अध्यक्ष को इन बैठकों में एक वोट देने का अधिकार होगा ।

6.4सूचना की अवधि:

(क) शासकीय निकाय की बैठक के लिए 7 दिनों की सूचना की आवश्यकता होगी, जिसमें स्थान, तारीख एवं विचारार्थ मदों की जानकारी होगी। अचानक बैठक के मामले में यदि सदस्यों द्वारा पारस्परिक सहमति व्यक्त की गई हो, किसी सूचना की आवश्यकता नहीं होगी।

(ख) वार्षिक आम सभा हेतु 21 दिनों की सूचना की आवश्यकता होगी जिसमें बैठक हेतु स्थान, तारीख, समय की जानकारी होगी ।

(ग) असाधारण आम सभा के लिए 14 दिनों की सूचना की आवश्यकता होगी, जिसमें बैठक हेतु स्थान, तारीख एवं समय की जानकारी होगी ।

(घ) विशेष आम सभा हेतु 7 दिनों की सूचना की आवश्यकता होगी, जिसमें बैठक हेतु स्थान, तारीख एवं समय की जानकारी होगी।

6.5प्रॉक्सी:

किसी निर्वाचन में प्रॉक्सी स्वीकार्य नहीं होगी ।

6.6बैठक की सामान्य पद्धति:(

बैठक के सभी वर्गों की अध्यक्षता सोसाइटी के सभापति (अथवा अध्यक्ष अथवा चेयर पर्सन) एवं उनकी अनुपस्थिति में सोसाइटी के उपसभापति अथवा इस प्रकार निर्वाचित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की जाएगी । अध्यक्ष के कास्टिंग वोट के साथ बहुसंख्यक निर्णय की मान्यता होगी, यदि आवश्यक हो ।

7. लेखाओं का अनुरक्षण एवं लेखापरीक्षा :

7.1 संगठन के सभी व्यय की लेखाओं का अनुरक्षण एवं लेखा परीक्षा आवधिक रूप से की जाएगी ।

**7.2 लेखांकन वर्ष:**

सोसाइटी का लेखांकन वर्ष, वर्ष के 1 अप्रैल से आरंभ होकर अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष होगा ।

**7.3 लेखा □रीक्षक:**

लेखाओं का लेखा परीक्षा किसी अर्हताप्राप्त लेखापरीक्षक द्वारा की जाएगी ।

**7.4 लेखा □ंजिकाएं तथा इनका निरीक्षण:**

लेखा पंजिकाएं एवं अन्य सांविधिक पंजियां पंजीकृत कार्यालय में रखी जाएंगी तथा किसी भी सदस्य द्वारा लिखित अनुरोध पर निर्धारित तारीख एवं समय पर निरीक्षण हेतु खुली रहेंगी ।

**8. <u>बैठक की कार्यवाहियां एवं उनका निरीक्षण</u>**

बैठक की कार्यवाहियों का जिल्दबंद रजिस्टरों में सावधानीपूर्वक कार्यवृत्त तैयार की जाएगी, जिसका अनुरक्षण बैठकों के प्रत्येक वर्ग के लिए अलग अलग किया जाएगा तथा इन्हें सोसाइटी के पंजीकृत कार्यालय में रखा जाएगा । सभी कार्यवाहियों पर बैठकों के संबंधित अध्यक्ष द्वारा

प्रति हस्ताक्षर किया जाएगा । ये कार्यवाहियां किसी भी सदस्य द्वारा लिखित अनुरोध पर निर्धारित तारीख एवं समय पर निरीक्षण हेतु खुलीरहेंगी ।

**9. <u>शासकीय निकाय की शक्ति एवं कर्तव्य:</u>**

शासकीय निकाय को सोसाइटी के कार्य व्यवहार का प्रभावकारी प्रबंधन के लिए निम्नलिखित शक्ति एवं कर्तव्य होंगे:

(क) सोसाइटी के कर्मचारियों का ऐसी शर्तों एवं निबंधनों पर नियुक्त करना, जैसा कि शासकीय निकाय द्वारा निर्धारण किया जाता है ।

(ख) सोसाइटी के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विशिष्ट उद्देश्य के लिए उपसमितियों का गठन करना

(ग) सोसाइटी की संपत्ति का सोसाइटी के सर्वोत्तम हित में व्यवहार करना

(घ) दान एवं प्रतिदान के माध्यम से निधि सृजित करना तथा सोसाइटी के नाम में चल एवं अचल दोनों प्रकार की संपत्तियों का अर्जन करना, ताकि सोसाइटी के अस्तित्व एवं गतिविधियों की निरंतरता कायम रखी जा सके ।

(ङ) सोसाइटी की निधियों एवं नकदी परिसंपत्तियों संभवता प्रबंधन करना ।

(च) सदस्यों की शिकायतों पर उच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए ध्यान देना

(छ) सोसायटी के सभी सांविधिक वांछनीयता के प्रति कर्तव्यनिष्ठ एवं जागरूक बना रहना

(ज) उन सभी कार्य व्यापारों का लेन देन करना, जो की विभिन्न परिस्थितियों में उपस्थित हो सकताहै ।

10. कार्यपालकों का कर्तव्य:

10.1 सभापति/अध्यक्ष/चेयर पर्सन

(क) सोसाइटी के औपचारिक प्रमुख के रूप में कार्य करना

(ख) सभी बैठकों की अध्यक्षता करना

(ग) शासकीय निकाय के परामर्श के साथ सभी अनुशासनिक कार्रवाईयों के मामले में कार्य करना

(घ) सचिव एवं अन्य कार्यपालकों को दल के नायक के रूप में सलाह देना

(ङ) आकस्मिक बैठकें आहूत करना

(च) विशेष मामलों पर बुद्धिमता एवं सम्मान के साथ निर्णय करना

**10.2 उ□सभा□ति**

सभापति की अनुपस्थिति में उपरोक्त 10.1 में सभापति के लिए वर्णित सभी कर्तव्य उपसभापति हेतु लागू होंगे ।

**10.3 सचिव**

(क) सोसाइटी की सभी बैठकों का आयोजन करना

(ख) कार्यवृत्त पुस्तिकाओं का उचित ढंग से अनुरक्षण करना

(ग) सदस्यता प्रस्तावों पर कार्य करना तथा इन्हें शासकीय निकाय के समक्ष प्रस्तुत करना

(घ) सूचनाएं एवं परिपत्र जारी करना

(ङ) भुगतान आदेश एवं प्रति हस्ताक्षर प्राप्तियां जारी करना

(च) सांविधिक अनिवार्यताओं के सभी मामलों में सभापति की सहायता करना

(छ) लेखाओं का अनुरक्षण करना तथा कोषाध्यक्ष की सहायता से लेखा परीक्षा की व्यवस्था करना

(ज) सभी सांविधिक एवं विशेष मामलों पर प्रभावकारी व्यवहार सुनिश्चित करना

(झ) शासकीय निकाय के संपर्क में रहना तथा एक पक्षीय निर्णय नहीं लेना

**10.4 सहायक सचिव**

सचिव की अनुपस्थित में उपरोक्त 10.3 के अंतर्गत वर्णित सचिव के सभी कर्तव्य सहायक सचिव को लागू होंगे ।

**10.5 कोषाध्यक्ष**

(क) सभी प्राप्तियों, यथा अंशदान, प्रतिदान, अनुदान एवं कोई अन्य जमा तथा वर्तमान प्राप्तियां, साथ ही पूंजी एवं राजस्व भुगतानों की प्रकृति के सभी भुगतानों का लेखक रखना।

(ख) रोकड़ पंजिका, लेजर एवं अन्य लेखा बहियों का अनुरक्षण करना

(ग) सोसाइटी की निधियों की योजना तथा वार्षिक बजट तैयार करना

(घ) सोसाइटी के बैंक अकाउंट्स के संबंध में सचिव के साथ सह-हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कार्य करना

(ङ) वित्त के संबंध में सभी अन्य कार्यों का निर्वहन करना, जैसा कि उन्हें प्रत्यायोजित किया जाता है।

**11. संगठन के ज्ञा�न एवं सोसाइटी की विनियमावली में �रिवर्तन:**

जब कभी ज्ञापन अथवा विनियमावली के किसी अंश में फेरबदल संशोधन,विलोपन अथवा संयोजन आदि कार्य किया जाएगा तो धारा 8 एवं 9 के प्रावधानों का अनुपालन किया जाएगा । शासकीय निकाय आम निकाय के अनुमोदन की शर्त पर इस विषय पर कार्य करने के लिए प्राधिकृत होगा ।

**12. किसी अन्य सोसाइटी के साथ सम्मिलन:**

सोसाइटी द्वारा भविष्य में किसी अन्य सोसाइटी के साथ किसी उद्देश्य की संयुक्त रुप से पूर्ति हेतु सम्मेलन हेतु इच्छा रखने के मामले में, शासकीय निकाय आम निकाय के अनुमोदन की शर्त पर इस विषय पर कार्य करने के लिए प्राधिकृत होगा ।

**13. सोसाइटी के नाम का प्रमुखता के साथ प्रदर्शन**

सोसाइटी पंजीकृत कार्यालय के बाहर एवं ऐसे सभी स्थानों पर, जहां कहीं भी सोसाइटी का कार्य व्यापार चलाया जाता है, अपने नामों का प्रदर्शन करेगा । यह भी कि सोसाइटी के पास अपना एक मोहर होगा जिस पर इसका नाम उकेरा गया होगा ।सोसाइटी द्वारा क्रियान्वित सभी कागजातों पर सोसाइटी का नाम उल्लेखित होगा ।

**14. मुकदमा एवं विधिक कार्यवाहियां**

सोसाइटी द्वारा एवं इसके विरुद्ध सभी मुकदमें एवं विधिक कार्यवाहियां सभापति, सचिव अथवा किसी अन्य कार्यपालक अधिकारी के नाम पर होंगे , जैसा कि शासकीय निकाय द्वारा प्राधिकृत किया जाता है । सभी विधिक कार्यवाहियां सिक्किम हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गतहोंगी ।

**15. सोसाइटी का विघटन:**

इस सोसाइटी का सोसाइटी के तीन चौथाई सदस्यों द्वारा आम सभा में पारित किसी प्रस्ताव द्वारा विघटन किया जा सकेगा । यदि सोसाइटी की संपत्ति के निपटान एवं निपटारे एवं इसके दावे एवं

देनदारियों के पश्चात पर्याप्त परिसंपत्ति बची रहती है, तो ऐसी परिसंपत्तियों का भुगतान अथवा वितरण सोसाइटी के सदस्यों के बीच नहीं किया जाएगा , परंतु यह किसी अन्य पंजीकृत सोसाइटी को दे दिया जाएगा , जिसका निर्धारण सदस्यों के तीन चौथाई मतों के आधार पर किया जाएगा। हमलोग शासकीय निकाय के प्रथम सदस्यगण होने के नाते, सोसाइटी की नियमावली की स्वीकार्यता के रूप में हमारे द्वारा हस्ताक्षरित

| **क्र.सं.** | **हस्ताक्षर** | **नाम** | **धारित ▯द** |
|---|---|---|---|
| **1.** | | | |
| **2.** | | | |
| **3.** | | | |
| **4.** | | | |
| **5.** | | | |
| **6.** | | | |
| **7.** | | | |

**दिनांक**

# <u>संगठन का ज्ञा□न</u>

1. **सोसाइटी का नाम: सिक्किम विश्वविद्यालय □ूर्व छात्र संगठन**

2. **□ंजीकृत कार्यालय निम्न स्थान □र अवस्थित है:**

**सिक्किम विश्वविद्यालय,**

**6ठा माइल, सामदूर**

**□ी.ओ.तादोंग,**

**गंगटोक**

3. **सोसाइटी का उद्देश्य (अधिनियम की धारा 4(2) के अनुसार) :**

**(क)** विश्वविद्यालय के अनुसंधान इकाइयों, संस्थानों, बगीचे, पुस्तकालयों आदि का आम लोगों के लाभार्थ, अधिग्रहण, स्थापना, आरंभ, प्रचालन, अनुरक्षण एवं प्रबंधन करना ।

**(ख)** ज्ञान प्रसारण हेतु व्याख्यानों, वाद-विवाद, विचार विमर्श, सेमिनार एवं पर्यटन की व्यवस्था एवं आयोजन करना ।

**(ग)** विश्वविद्यालय पाठ्यचर्या के विकास एवं डिजाइनिंग में भागीदार बनना

**(घ)** उपयोगी साहित्य, पत्र, पत्रिकाएं आदि प्रकाशित करना अथवा प्रकाशन का माध्यम बनना

**(ङ)** विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की कला का अध्ययन, सृजन एवं प्रदर्शन करना

**(च)** साहित्यिक , सांस्कृतिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा की अभिवृद्धि को प्रोन्नत करना

**(छ)** युवाओं के बीच साहित्यिक एवं वैज्ञानिक संस्कृति की सोच पैदा करना

**(ज)** आम जनों को वैसी तकनीकियों का ज्ञान देना जिससे वह अपनी आय में वृद्धि कर सके

**(झ)** प्राकृतिक संसाधनों के अध्ययन में सहायता करना तथा ऐसे अध्ययनों के लिए अन्य संस्थानों के बीच सहभागिता करना

**(ञ)** शिक्षा एवं अनुसंधान के माध्यम से वैज्ञानिक संस्कृति एवं जागरूकता प्रचारित करना

**(ट)** आम नागरिकों को पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बारे में शिक्षित करने के लिए कार्य करना

**(ठ)** सभी समुदायों के जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए उच्चतर अध्ययनों के उनके प्रयासों में सहायता प्रदान करना

**(ड)** पांडुलिपियों, धर्म ग्रंथों, मूर्तियों ,पुरावशेषों, प्राकृतिक इतिहास नमूना, यांत्रिक एवं वैज्ञानिक उपकरणों एवं डिजाइनों का संग्रहण एवं संरक्षण करना

**(ढ)** ऐसी अन्य लोकोपकारी गतिविधियों में संलग्न होना एवं सहायता करना, जैसा कि सोसाइटी के शासकीय निकाय द्वारा आवश्यक एवं उचित माना जाता है

**(ण)** सोसाइटी के उद्देश्य के लिए प्रतिदानों, सहायताएं, अंशदान आदि का संग्रहण करना

**(त)** किसी भवन, गृह अथवा सोसाइटी के उद्देश्य के लिए आवश्यक अथवा सुविधाजनक किसी अन्य कार्य का निर्माण, अनुरक्षण सुधार, विकास एवं फेरबदल करना।

**(थ)** उन सभी कार्यों,कार्रवाईयों, विषयों एवं चीजों को करना, जो कि उपरोक्त उद्देश्यों के लिए आकस्मिक अथवा सुविधाजनक माना जाए । सोसाइटी की आय एवं संपत्तियां जो कुछ भी अर्जित अथवा प्राप्त की जाती है, उन्हें एक मात्र सोसाइटी के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु लगाया जाएगा तथा इसका कोई भी अंश लाभ के माध्यम से इनके सदस्यों के बीच भुगतान अथवा वितरित नहीं किया जाएगा । बशर्ते कि यहां वर्णित कुछ भी, नेक निर्यात अथवा सोसाइटी के किसी अधिकारी अथवा नौकर अथवा कर्मचारी का पारिश्रमिक अथवा किसी अन्य व्यक्ति(यों) को सोसाइटी में उनके द्वारा पूर्व में प्रदान की गई सेवाओं के लिए भुगतान के आड़े नहीं**आएगा ।**

**<u>घोषणाएं</u>**

**ए. संगठन किसी ऐसे** उद्देश्य हेतु कार्य नहीं करेगा, जो कि इन के सदस्यों के लिए अर्जन हेतु लिया गया हो ।

**बी.** संगठन से अर्जित आय अथवा संगठन की निधि से निर्मित संपत्तियों का उपयोग संगठन के सदस्यों के उपभोग अथवा उनके बीच वितरण हेतु नहीं किया जाएगा, तथा इसे संपूर्णता में पुनः संगठन की गतिविधियों में लगाया जाएगा ताकि संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति एवं आगे प्रगति की जा सके ।

**4. शासकीय निकाय के प्रथम सदस्यों के नाम:**

| क्र.सं. | नाम | □ता | संगठन में धारित □द |
|---|---|---|---|
| 1. | | | सभा□ति |
| 2. | | | उ□-सभा□ति |
| 3. | | | सचिव |
| 4. | | | सहायक सचिव |
| 5. | | | कोषाध्यक्ष |
| 6. | | | कार्यकारी सदस्य |
| 7. | | | कार्यकारी सदस्य |

5. हमलोग, अधोहस्ताक्षरीगण उ□रोक्त उद्देश्यों से जूड़े होने के कारण एतद्द्वारा वर्तमान संगठन के ज्ञा□न में अ□ना नाम हस्ताक्षरित करते हैं एवं इसे विनियमावली की एक प्रति के साथ साथ संगठन का एक सोसाइटी के रू□ में □ंजीकरण हेतु दर्ज करने की मंशा रखते हैं ।

| क्र.सं. | नाम | □ता | □शा | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |

उ□रोक्तानुसार हस्ताक्षर के प्रति साक्ष्य
दिनांक सहित हस्ताक्षर:
नाम:
□ता:

□रिशिष्ट - 3

**सिक्किम विश्वविद्यालय की 15वें शैक्षणिक □रिषद की दिनांक 13 जून 2014 को बराद सदन भवन, गंगटोक में आयोजित बैठक के कार्यवृत्त**

**निम्नलिखित सदस्यगण उ□स्थित थे:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | प्रो0 टी वी सुब्बा, कुल□ति | - | अध्यक्ष |
| 2. | प्रो0 संजय राय, समाजशास्त्र विभाग, एन बी यू | - | सदस्य |
| 3. | डा0 (श्रीमती) लिली आले, प्राचार्य, सिक्किम सरकारी कॉलेज, रेनोक | - | सदस्य |
| 4. | डा0 एन.आर भुईंया, प्राचार्य हिमालियन फार्मेसी संस्थान, माझीटर | - | सदस्य |
| 5. | प्रो0 प्रता□ चंद्र प्रधान, डीन भाषाएं एवं साहित्य स्कूल | - | सदस्य |
| 6. | प्रो0 ए.एस. चंदेल, □ुस्तकालयाध्यक्ष | - | सदस्य |
| 7. | डा0 धनीराज छेत्री, डीन छात्र कल्याण | - | सदस्य |
| 8. | डा0 एस.के. गुरूंग, □रीक्षा नियंत्रक | - | सदस्य |
| 9. | प्रो0 इर्सादि गुलाम अहमद, प्रमुख, अंग्रेजी विभाग | - | सदस्य |
| 10. | डा0 सुबीर मुखो□ाध्याय, प्रमुख भौतिकी विभाग | - | सदस्य |
| 11. | डा0 सोहेल फिरदौस, प्रमुख, भूगोल विभाग | - | सदस्य |
| 12. | डा0 नवल के.□ासवान, प्रमुख शांति एवं संघर्ष अध्ययन तथा प्रबंधन विभाग | - | सदस्य |
| 13. | डा0 वी0 कृष्णा अनंत, प्रमुख इतिहास विभाग | - | सदस्य |
| 14. | डा0 ए.एन.शंकर प्रमुख वाणिजय विभाग | - | सदस्य |

15. डा0 एन.सत्यनारायण, प्रमुख वनस□ति विज्ञान विभाग - सदस्य

16. डा0 एच के तिवारी, प्रमुख माइक्रोबायोलॉजी विभाग - सदस्य

17. डा0 मनिष, प्रमुख अंतराष्ट्रीय संबंध विभाग - सदस्य

18. डा0 किवता लामा, प्रमुख ने□ाली विभाग - सदस्य

19. डा0 मनेश चौबे, प्रमुख अर्थशास्त्र विभाग - सदस्य

20. डा0 वी रामा देवी, प्रमुख प्रबंधन विभाग - सदस्य

21. डा0 दुर्गा प्रसाद छेत्री, प्रमुख राजनीति शास्त्र विभाग - सदस्य

22. डा0 स्वाति अक्षय सचदेवा, प्रमुख समाजशास्त्र विभाग - सदस्य

23. डा0 कोत्रा राइने रामा मोहन, प्रमुख एन्थ्रो□ोलॉजी विभाग - सदस्य

24. डा0 नुतन कुमार एस थिंगुजाम , प्रमुख मनोविज्ञान विभाग - सदस्य

25. डा0 अमिताभ भट्टाचार्या, एसोसिएट प्रोफेसर , भौतिकी विभाग - सदस्य

26. श्री टी.के. कौल, रजिस्ट्रार - सदस्य

निम्नलिखित सदस्यगण अ□नी □ूर्व-निर्धारित कार्यव्यस्तता के कारण बैठक में उ□स्थित नहीं हो सके तथा अनु□स्थिति छुट्टी की मांग की:

1. प्रो0 डी.के.नायक, भुगोल विभाग, □ूर्वोत्तर हिल युनिवर्सिटी
2. प्रो0 जे.□ी.तामंग, डीन, जीव विज्ञान स्कूल
3. डा0 एस मणिवनान, प्रमुख बागवानी विभाग
4. डा0 दिली□ कुमार दास, प्रमुख, □र्यटन विभाग

आंरभ में कुल□ति ने □रिषद के सभी सदस्यों एवं विशेष कर निम्नलिखित सदस्यों का धन्यवाद ज्ञा□न किया:

1. डा0 (श्रीमती) लिली आले, प्राचार्य, सिक्किम सरकारी कॉलेज, रेनॉक
2. डा; एन.आर भुईंया, प्राचार्य, हिमालियन फार्मेसी संस्थान, माझीटार

3. प्रो0 डी.के.नायक, भुगोल विभाग, □र्वोत्तर हिल युनिवर्सिटी (अनु□स्थिति में)

4. प्रो0 संजय राय, समाज शास्त्र विभाग, एन बी यू

5. प्रो0 इर्साद गुलाम अहमद, प्रमुख अंग्रेजी विभाग

6. डा0 दुर्गा प्रसाद छेत्री, प्रमुख राजनीतिशास्त्र विभाग

7. डा0 स्वाती अक्षय सचदेवा, प्रमुख समाजशास्त्र विभाग

8. डा0 दिली कुमार दास, प्रमुख □र्यटन विभाग (अनु□स्थिति में)

9. डा0 कोत्रा राइने राजा मोहन, एन्थ्रो□लॉजी विभाग

10. डा0 नुतन कुमार एस थिंगुजाम, मनोविज्ञान विभाग

**□रिषद ने निम्नलिखित सदस्यों के अवदानों हेतु अ□नी प्रशंसा अभिलेखित कया, जिन्होंने □रिषद में अ□ना कार्यकाल □रा कर लिया है :**

1. डा0 एम.□ी.था□ा, प्राचार्य, सिक्किम सरकारी कॉलेज, नाम्ची
2. फा (डा0) डेनियल बारा, एस.जे. प्राचार्य, लोयला कॉलेज ऑफ एजुकेशन, नाम्ची
3. प्रो0 एस. एफ □ाटिल, कार्यकारी निदेशक( अनुसंधान एवं प्रशिक्षण) भारती विद्या□ीठ, □णे
4. ले.जेनरल (सेवानिवृत्त) आदित्य सिंह
5. प्रो. □ीटर रोनाल्ड डी सुजा, सेंटर फॉर स्टडिज ऑफ डवल□िंग स्टडी, दिल्ली
6. प्रो0 एस.एस.सिंह, निदेशक, राष्ट्रीय विधि संस्थान, विश्वविद्यालय, भो□ाल
7. श्री टाशी डेन्शा□ा, निदेशक, नामग्याल टिबेटोलॉजी संस्थान, देवराली
8. श्रीमती कि□ु छिरिंग लेप्चा, सामाजिक कार्यकर्ता एवं सिविल सर्वेंट
9. प्रो0 राजकिशोर गुप्ता, प्रमुख, अर्थशास्त्र विभाग, उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय

**तत□श्चात कार्यसूची मदों □र निम्नानुसार चर्चा की गई:**

## भाग-1

## कार्यवृत्त की □ुष्टि एवं अनुवर्ती कार्रवाई रि□ोर्ट

**ए.सी 15.1.1: शैक्षणिक □रिषद की दिनांक 13 नवम्बर 2013 को आयोजित 14वीं बैठक के कार्यवृत्त की □ुष्टि**

परिषद के किन्ही सदस्यों द्वारा दिनांक 19 नवंबर 2013 को परिचालित कार्यवृत्त पर कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई थी । यद्यपि डॉक्टर सोहेल फिरदौस ने पिछली बैठक के दौरान प्रोफेसर एस एफ पाटिल द्वारा की गई टिप्पणी के बारे में मुद्दा उठाया । अध्यक्ष द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि प्रोफेसर पाटिल द्वारा की गई टिप्पणी पर परीक्षा के संचालन पर परिशोधित विनियमावली में ध्यान रखा गया है । तत्पश्चात शैक्षणिक परिषद की दिनांक 13 नवंबर 2012 को आयोजित 14 वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि कर ली गई, जो कि 19 नवंबर 2013 को सभी सदस्यों के प्रति परिचालित किया गया था ।

**ए.सी 15.1.2:** शैक्षणिक परिषद की दिनांक 13 नवंबर 2013 को आयोजित 14 वीं बैठक के कार्यवृत्त पर अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट

अध्यक्ष ने रजिस्ट्रार से परिषद की चौदहवीं बैठक के कार्यवृत्त पर अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा । परिषद ने विश्वविद्यालय द्वारा परिषद की 14वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई को नोट किया।

भाग-2

रिपोर्टिंग मदें

**ए.सी 15.2.1:** **विश्वविद्यालय का द्वितीय दीक्षांत समारोह**

परिषद ने दिनांक 9 मार्च 2014 को आयोजित द्वितीय दीक्षांत समारोह पर विश्वविद्यालय की रिपोर्ट को नोट किया ।

**ए.सी 15.2.2:** **ओ□न एवं दुरस्थ लर्निंग संस्थानों (ओ डी एल) )द्वारा अवार्ड की गई डिग्री की □रम्□रिक विश्वविद्यालय /संस्थानों के समकक्ष समतुल्यता**

परिषद ने यूजीसी द्वारा अपने दिनांक 14 अक्टूबर 2014 के पत्र के माध्यम से यूजीसी/ तत्कालीन डी इ सी द्वारा मान्यता प्राप्त ओपन एवं दुरस्थ लर्निंग संस्थानों (ओडीएल) द्वारा संचालित कार्यक्रमों के लिए प्रदत्त डिग्रियों /डिप्लोमा/ प्रमाण पत्रों के समकक्षीय अवार्डों को समतुल्य मानने के संबंध में जारी किए गए निर्देशनों को नोट किया ।

**भाग-3**

**सं□ष्टि हेतु विषय**

**ए.सी 15.3.1:** उत्तर पूर्व भारत पर अनुसंधान हेतु मौलाना आजाद केंद्र परिषद को सूचित किया गया कि विश्वविद्यालय मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इंस्टिट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज, कोलकाता (एम ए के ए आई ए एस) के साथ शैक्षणिक एवं अनुसंधान सहकारिता हेतु एमओयू में प्रविष्ट हुआ है , जिसमें पूर्वोत्तर भारत पर अनुसंधान हेतु मौलाना आजाद केंद्र की स्थापना सम्मिलित है , ताकि स्नातकोत्तर एम.फिल एवं पी एच डी छात्रों के प्रति अनुसंधान अवसर उपलब्ध करवाया जा सके ,साथ ही पूर्वोत्तर भारत में सामाजिक विज्ञानों में प्रभावकारिता की वृद्धि में अन्य वरिष्ठ अनुसंधानकर्ताओं को प्रेरित किया जा सके । केंद्र से सिक्किम राज्य में पूर्वोत्तर भारत एवं इसके अड़ोस-पड़ोस पर अनुसंधान गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने के लिए नोडल केंद्र के रूप में कार्य करने की आशा की जाती है । निधियां एम ए के ए आई एस द्वारा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित बजट के अनुसार उपलब्ध करवाई जाएगी । परिषद को यह भी सूचित किया गया कि डॉक्टर मनीष, एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग केंद्र के समन्वयकर्ता होंगे। केंद्र के संचालन हेतु एक परामर्शदायी समिति गठित की जाएगी ।

परिषद ने कुलपति को कथित केंद्र हेतु एक परामर्शदायी समिति गठित करने के लिए प्राधिकृत किया । परिषद ने कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय में पूर्वोत्तर भारत पर अनुसंधान हेतु मौलाना आजाद केंद्र की स्थापना करने तथा डॉ मनीष की इसके समन्वयकर्ता के रुप में नियुक्त करने की कार्रवाई की संपुष्टि की ।

**ए.सी 15.3.2: सिक्किम विश्वविद्यालय में लुप्त प्राय भाषाओं के केंद्र की स्था�ना**

परिषद को अध्यक्ष द्वारा सूचित किया गया कि यूजीसी द्वारा तेजपुर विश्वविद्यालय, असम राजीव गांधी विश्वविद्यालय ईटानगर तथा सिक्किम विश्वविद्यालय में लुप्तप्राय भाषाओं के लिए केंद्र की स्थापना हेतु अपने अनुमोदन की सूचना प्राप्त हुई है। सिक्किम विश्वविद्यालय में इस केंद्र की स्थापना का उद्देश्य एवं उत्तर बंगाल की सभी लुप्त प्राय भाषाओं का अध्ययन दस्तावेज तथा सूचीबद्ध करना है । तीनों विश्वविद्यालय तेजपुर विश्वविद्यालय के नेतृत्व में एक समष्टि के रूप में कार्य करेंगे । ₹1.80 करोड़ की एक राशि सिक्किम विश्वविद्यालय को केंद्र हेतु आवंटित की गई है ।3 वर्षों के बाद विश्वविद्यालय की क्षमता के मूल्यांकन पर आधारित अनुदान की राशि में वृद्धि की जा सकती है । तदनुसार सिक्किम विश्वविद्यालय में लुप्त प्राय भाषाओं के लिए केंद्र कार्यालय आदेश संख्या 116/2014 दिनांक 2 मई 2014 के माध्यम से स्थापित किया गया है । अध्यक्ष ने यह भी सूचित किया कि डॉ समर सिन्हा सहायक प्रोफेसर, नेपाली विभाग को केंद्र समन्वयकर्ता नियुक्त किया गया है ।

अध्यक्ष ने परिषद को यभ भी सूचित किया कि यह केंद्र ए बहुभाषिक शब्दावली तथा सिक्किम एवं उत्तर बंगाल क्षेत्रों में लुप्त प्राय भाषाओं के लिए एक प्राइमर का विकास भी करेगा । लुप्त प्राय भाषाओं की सूची के बारे में सदस्यों में से एक के प्रश्न पर अध्यक्ष ने सूचित किया कि लुप्त प्राय भाषाओं की सूची युनेस्को रिपोर्ट में दी गई है ।

परिषद ने विश्वविद्यालय द्वारा लुप्त प्राय भाषाओं के लिए केंद्र स्थापित करने तथा डा0 समर सिन्हा, सहायक प्रोफेसर की समन्वयकर्ता के रूप में नियुक्ति करने की कार्रवाई की संपुष्टि की ।

## भाग -4

## विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ मामले

**ए.सी 15.4.1: शैक्षणिक �रिषद की बैठकों के लिए विनियमावली**

इस मद को रजिस्ट्रार द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने परिषद को सूचित किया कि शैक्षणिक परिषद की बैठकों का संचालन हेतु अभी तक कोई विनियमावली विकसित नहीं की गई है । विनियमावली का ड्राफ्ट तैयार करते समय विश्वविद्यालय के अधिनियम, सांविधियों एवं अध्यादेशों की परीक्षा की गई थी । दिलल्री विश्वविद्यालय , जे एन यू, ईग्नु एवं हैदराबाद विश्वविद्यालय सद्दश्य कुछ अन्य विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक परिषद की बैठकों के संचालन हेतु अधिनियमों, सांविधियों अध्यादेशों एवं विनियमावली की भी परीक्षा की गई थी, एवं तदनुसार ड्राफ्ट विनियमावली तैयार की गई तथा विधिक परामर्शदातों द्वारा विधिक रूप से इसकी वैटिंग करवाई गई थी । ड्राफ्ट विनियमावली के प्रत्येक खंड का वाचन किया गया । परिषद ने विचार विमर्श के पश्चात ड्राफ्ट विनियमावली में कुछ स्थानों पर कुछ परिवर्तन की सलाह दी । परिषद द्वारा सुझाए गए संशोधनों के पश्चात परिशोधित ड्राफ्ट विनियमावली, जैसा कि इन कार्यवृत्त के प्रति अनुलग्नक 1 के रूप में प्रस्तुत की गई है, परिषद द्वारा कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदन हेतु अनुशंसा की गई ।

**ए.सी 15.4.2: विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग की स्था�ना**

अध्यक्ष ने परिषद को सूचित किया कि विश्वविद्यालय के अध्ययनों के 6 स्कूलों के अंतर्गत 29 विभाग कार्यरत हैं। 8 और शैक्षणिक विभाग नामत: आर्किटेक्चरल, भुटिया, जैव प्रौद्योगिकी, लेप्चा, लिम्बु, भाषा विज्ञान, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान तथा समाजिक कार्य 12वीं योजना के अंतर्गत प्रस्तावित हैं । परंतु अभी तक इन विभागों को क्रियाशील नहीं किया जा सका है । मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा यह सूचित किया गया है कि लखनऊ में दिनांक 13 से 15 सितम्बर 2013 को आधुनिक युग में संस्कृत का महत्व विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान प्रस्तावों में से एक में अंगीकृत किया गया है कि देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एक संस्कृत विभाग होना चाहिए, ताकि इस भाषा को प्रचारित एवं प्रसारित किया जा सके । तदनुसार, एम एच आर डी ने हमारे विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग खोले जानेकी संभावना खोजने का अनुरोध किया है । परिषद ने उचित विचार विमर्श के बाद निम्नलिखित सदस्यों के साथ एक समिति गठित किया, जो कि इस विषय पर विस्तार से अध्ययन करेगी तथा परिषद के अगली बैठक में विचारार्थ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

| | | |
|---|---|---|
| **1** | **प्रो0 प्रता□ चंद्र प्रधान, डीन भाषाएं एवं साहित्य स्कूल** | **अध्यक्ष** |
| **2** | **डा0 सोहेल फिरदौस, डीन मानव विज्ञान स्कूल** | **सदस्य** |
| **3** | **डा0 सुबीर मुखो□ध्याय, डीन भौतिकी विज्ञान स्कूल** | **सदस्य** |
| **4** | **डा0 अप्□ाला नाग शंकर, डीन व्यवसायिक अध्ययन स्कूल** | **सदस्य** |
| **5** | **डा0 वी कृष्णा अनंत, प्रमुख इतिहास विभाग** | **सदस्य** |

**ए.सी 15.4.3: जामिया ऊर्दु अलिगढ़, एक अल्□संख्यक प्रस्तावित □ाठ्यक्रमों की मान्यता**

जामिया ऊर्दु अलिगढ़, एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान ने सिक्किम विश्वविद्यालय द्वारा उनके द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित पाठ्यक्रमों की मान्यता प्रदान करने का अनुरोध किया है:

1. "अदीब" जो कि हाई स्कूल के समकक्ष है ।
2. "अदीब-ए-माहिर" जो कि इंटरमिडिएट के समकक्ष है ।
3. "अदीब-ए-कामिल" जो कि स्नातक कला के समकक्ष है ।
4. "मोआल्लिम-ए-ऊर्दु" जो कि स्नातक शिक्षा के समकक्ष है ।

उनके द्वारा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के का.ज्ञा. दिनांक 28 जून 1978 की एक प्रति भी संलग्न की गई है, जिनमें केंद्रीय सरकारी उन पदों के प्रति नियोजन के उद्देश्य से इन उपरोक्त पाठ्यक्रमों को मान्यता दी गई है, जिनके लिए उक्त प्रत्येक पाठ्यक्रम के विरूद्ध उल्लेखित मानक की ऊर्दु का ज्ञान वांछनीय है ।

परिषद ने विचार-विमर्श के पश्चात निर्णय लिया कि जामिया ऊर्दु अलिगढ़ द्वारा प्रस्तावित इन सभी पाठ्यक्रमों की विषय वस्तु प्राप्त की जाए । परिषद ने दिनांक 29 जून 1978 के का.ज्ञा. के अंतर्वस्तु को भी नोट किया ।

**ए.सी 15.4.4: सिलेबस □रिशोधन/ड्राफ्टिंग मामले**

अध्यक्ष ने सूचित किया कि पिछले सेमेस्टर के दौरान पी जी पाठ्यक्रमों के अधिकांश सिलेबसों का परिशोधन किया गया था । यद्यपि, इस समेस्टर के दौरान शिक्षा, पर्यटन एवं हिंदी विभागों सहित अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के सिलेबसों को अद्यतन एवं परिशोधन करने का भी प्रयास किया गया था । अधिकांश मामलों में परिशोधित ड्राफ्ट सिलेबस पर संबंधित विभागों के अध्ययन बोर्ड द्वारा तत्पश्चात संबंधित स्कूल बोर्ड द्वारा किया गया है । परंतु कुछ मामले में, यथा-शिक्षा, पर्यटन एवं हिंदी विभाग यह कार्य सीधे स्कूल बोर्डों द्वारा नहीं किया गया है, क्योंकि इन विभागों के अध्ययन बोर्डों का गठन अप्रैल 2014 तक स्थायी संकाय सदस्यों के आभाव के कारण अभी किया जाना बाकी है । अध्यक्ष ने यह भी सूचित किया कि एक मामले में, सिलेबस के परिशोधन से संबंधित अनुशंसाएं सीधे शैक्षणिक परिषद के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया है ।

अध्यक्ष ने संबंधित स्कूलों के डीन से उनके स्कूल के अंतर्गत विषयों के संबंध में ड्राफ्ट/परिशोधित सिलेबस प्रस्तुत करने का अनुरोध किया ।

डा0 सोहेल फिरदौस, डीन मानव विज्ञान स्कूल ने भुगोल में बी ए / बी एस सी मनोविज्ञान में बी एस सी - एम एस सी एकीकृत पाठ्यक्रम, पूर्वी हिमालयी अध्ययन एवं पर्यावरण अध्ययनों के परिशोधित सिलेबस प्रस्तुत किया । परिषद ने ऊपर वर्णित पाठ्यक्रमों/विषयों के परिशोधित सिलेबस का अनुमोदन किया । प्रो0 प्रताप चंद्र प्रधान, डीन, भाषाएं एवं साहित्य स्कूल ने लेप्चा, भुटिया, लिंबु एवं नेपाली के बी ए (आनर्स), एम.ए (हिंदी) 3रा एवं 4था सेमेस्टर, चाइनीज में बी.ए, एम ए एकीकृत पाठ्यक्रम, अंग्रेजी में बी ए (आनर्स); एम ए (अंग्रेजी); अंग्रेजी में एम.फिल एवं पी एच डी के ड्राफ्ट/परिशोधित सिलेबस प्रस्तुत किया । मनोविज्ञान में प्रश्न पत्र III एवं IV में विनिमय किया जाएगा । उन महाविद्यालयों के लिए भाषा विज्ञान सभी भाषाओं के लिए एक ऐच्छिक विषया होगा, जहां भाषा विज्ञान का शिक्षक उपलबध नहीं है । इन सिलेबसों का अनुमोदन किया गया । अध्यक्ष को यूनिट शीर्षकों तथा किसी सिलेबस में किसी अन्य विसंगतियों के मुद्दे के निवारण के लिए प्राधिकृत किया गया ।

डा0 एन सत्यनारायण, प्रमुख वनस्पति विज्ञान विभाग ने प्रो0 जे.पी.तामंग,डीन, जीव विज्ञान स्कूल के पक्ष में प्रस्तुत किया । उन्होंने प्राणीशास्त्र के यू जी एवं पी जी संशोधित सिलेबस प्रस्तुत किया, जिसे अनुमोदित किया गया । उन्होंने वनस्पति विज्ञान के यू जी सिलेबस को भी प्रस्तुत किया, जो अनुमोदित किया गया । माइक्रोबायोलॉजी में यू जी , पी जी एवं एम फिल/पी एच डी सिलेबसों का अनुमोदन किया गया । यद्यपि, माइक्रोबायोलॉजी में एम एस सी सेमेस्टर IV में कुछ विसंगतियां थी, जिसमें एक शोध पत्र हेतु 400 अंक की सलाह दी गई । परिषद ने सलाह दिया कि अंतिम सेमेस्टर में सिर्फ एक शोध पत्र रखा जाए, तथा 2 सैद्धांतिक पत्र एवं 1 व्यवहारिक पत्र सम्मिलित किया जाए । माइक्रोबायोलॉजी के एच ओ डी 15 दिनों के अंतर्गत संशोधित सिलेबस प्रस्तुत करने को सहमत हुए ।

डा0 सुबीर मुखोपाध्याय, डीन भौतिकी विज्ञान स्कूल ने भौतिक विज्ञान स्कूल के अंतर्गत विषयों के संशोधित /ड्राफ्ट सिलेबस को प्रस्तुत किया । परिषद ने भौतिकी एवं रसायनशास्त्र के यूजी/पीजी सिलेबस; गणित के संबंध में यूजी सिलेबस;भुगर्भ शास्त्र का बी एस सी एम एस सी एकीकृत सिलेबस साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशन में बी सी ए एम सी ए

एकीकृत प्रोग्राम का अनुमोदन किया । सांख्यिकी के यूजी सिलेबस का अनुमोदन किया गया । गणित के पी जी सिलेबस हेतु परिषद ने सलाह दिया कि परियोजना कार्य सिर्फ चार क्रेडिट्स अथवा 100 अंकों का होना चाहिए । आगे, इलेक्टिव पत्रों का पेपर 7 सेमेस्टर II में जाएगा तथा पेपर 8 सेमेस्टर III में अन्य विभागों के छात्रों हेतु खुले पत्रों के रूप में जाएगा ।

डा0 अप्पाला नाग शंकर, डीन, व्यवसायिक अध्ययन स्कूल ने एम बी ए के बी ए तथा 3रे एवं 4थे सेमेस्टर; प्रबंधन के पी एच डी कार्यक्रम; शिक्षा में बी ए तथा एम ए के 3रे एवं 4थे सेमेस्टर; बी एड एवं एम एड; बी पी ए एवं एम पी ए; बी फार्मा एवं एम फार्मा; शारीरिक शिक्षा पर यू जी सिलेबस; पर्यअन एवं सेवा उद्योग में यू जी, पी जी (iii एवं iv सेमेस्टर) एवं डिप्लोमा; जे एम सी में यू जी; वाणिज्य में यूजी, पी जी एवं एम फिल/पी एच डी पाठ्यक्रम कार्य हेतु ड्राफ्ट संशोधित सिलेबस प्रस्तुत किया । प्रस्तुत ड्राफ्ट सिलेबसों का परिषद द्वारा अनुमोदन किया गया ।

डा0 नवल के पासवान, डीन, सामाजिक विज्ञान स्कूल ने राजीनीति शास्त्र, सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं इतिहास में यू जी आनर्स पाठ्यक्रमों पर ड्राफ्ट/संशोधित सिलेबस प्रस्तुत किया, जिसे अनुमोदित किया गया । उन्होंने राजनीतिशास्त्र सामाजिक विज्ञान एवं इतिहास के संशोधित पी जी सिलेबस को भी प्रस्तुत किया, जिसे अनुमोदित किया गया । राजनीतिशास्त्र एवं सामाजिक विज्ञान में पुनर्सरंचनाकृत सिलेबसों का भी अनुमोदन किया गया । राजीनतिशास्त्र में एम फिल/पी एच डी के सिलेबस का भी अनुमोदन किया गया । शांति, संघर्ष, अध्ययन एवं प्रबंधन सिलेबस में एम एम सिलेबस हेतु डा0 साल्विन पॉल द्वारा ड्राफ्टकृत एक ऐच्छिक पत्र एवं अग्रिम व्यापारिक कानून: ई शासन का कानून हेतु डा0 निधि सक्सेना द्वारा एल एल एम पाठ्यक्रम के लिए तैयार किया गया ड्राफ्ट सिलेबस भी अनुमोदित किए गए थे ।

यह निर्णय लिया गया था कि अनुमोदित सिलेबसों का डा0 एन.के. पासवान की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा आश्वस्त किया जाएगा, जिसके बाद इन्हें फार्मेट एवं संपादित किया जाएगा । परिषद ने अध्यक्ष की इस उद्देश्य से एक समिति गठित करने के लिए प्राधिकृत किया । परिषद ने अध्यक्ष को परिषद द्वारा अनुमोदित सिलेबस के बारे में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भी प्राधिकृत किया । यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कैलेन्डर के संबंध में व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के ग्रीष्म स्कूल कार्यक्रम को विंटर स्कूलों में परिणत किया जाएगा तथा फील्ड वर्क/ प्रैक्टिकल/इन्टर्नशीप/शैक्षणिक भ्रमण का न्यूनतम क्रेडिट 1 क्रेडिट का होगा ।

**टेबल मदें**

**ए.सी 15.4.5: वनस्ति विज्ञान विभाग में ी एच डी कार्यक्रम हेतु दो अधिसंख्य अभ्यर्थियों का ंजीकरण**

डा0 एन सत्यनाराय, प्रमुख, वनस्पति विज्ञान विभाग ने इस मद को प्रस्तुत किया । उन्होंने सूचना दी कि विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2013 के दौरान वनस्पति विज्ञान विभाग में पी एच डी कार्यक्रम हेतु दो अधिसंख्य अभ्यर्थियों का नामांकन किया था । ये अभ्यर्थीगण दो प्रतिष्ठित संस्थानों में अनुसंधान शोधकर्ताओं के रूप में पूर्व में ही संलग्न हैं, तथा इन्हें विश्वविद्यालय से छात्रवृत्ति / निधि प्रदत्रता एवं संसाधनों की आवश्यकता

नहीं है । उन्होंने सूचित किया कि विश्वविद्यालय के पी एच डी कार्यक्रम में पंजीकृत होने के लिए यह निरीक्षण एवं निर्धारित किया जाना आवश्यक है कि ऐसे संस्थानों में पर्याप्त सुविधाएं उपलबध हैं । वनस्पति विभाग के संकाय सदस्यों से मिलाकर गठित एक स्थानीय समिति द्वारा दिनांक 16 मई 2014 को उन संस्थानों पद्मजा नायडू हिमालियन जुओलॉजिकल पार्क, दार्जीलिंग की अनुसंधान सुविधाओं का निरीक्षण किया गया, जहां श्री भूपेन रोका अनुसंधान कार्य कर रहे हैं , तथा दिनांक 19 मई 2014 को (पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण में अनुसंधान हेतु अशोक ट्रस्ट अर्थात ए टी आर ई ई, डवलपमेंट एरिया, गंगटोक) में निरीक्षण किया, जहां सुश्री करूणा गुरूंग अपना अनुसंधान कार्य कर रही हैं । समिति के सदस्यों ने प्रेक्षण किया कि इन दो छात्रों को उपलब्ध अनुसंधान सुविधाएं एवं संसाधन पर्याप्त एवं संतोषजनक हैं, तथा निम्नानुसार इन दो अभ्यर्थियों को वनस्पति विज्ञान विभाग में पी एच डी कार्यक्रम हेतु पंजीकरण के लिए अनुशंसा की :

1. सुश्री करूणा गुरूंग, डा0 संतोष राई, सहायक प्रोफेसर के अधीन
2. श्री भुपेन रोका, डा0 धनीराज छेत्री, एसोसिएट प्रोफेसर के अधीन

परिषद ने समिति की अनुशंसाओं, साथ ही सुश्री करूणा गुरूंग एवं श्री भुपेन रोका का वनस्पति विज्ञान विभाग में पी एच डी कार्यक्रम हेतु पंजीकरण का अनुमोदन किया ।

**भाग-5**

**प्राधिकारियों/समितियों के कार्यवृत्त**

**ए.सी 15.5.1: महाविद्यालय विकास परिषद की दिनांक 30 मई 2014 को आयोजित पहली बैठक के कार्यवृत्त**

**परिषद ने महाविद्यालय विकास परिषद की दिनांक 30 मई 2014 को आयोजित पहली बैठक के कार्यवृत्त पर विचार किया तथा महाविद्यालय विकास परिषद की निम्नलिखित अनुशंसाओं का अनुमोदन किया:**

1. **अंडर ग्रेजुएट शिक्षा नीति समीक्षा:**
   - **परिषद ने महाविद्यालय विकास परिषद की अनुशंसाओं का अनुमोदन किया ।**
2. **सिक्किम विश्वविद्यालय एवं सिक्किम सरकारी विधि महाविद्यालय बुर्तुक में बी ए- एल एल बी कार्यक्रम में समरूपता**
   - **परिषद ने महाविद्यालय विकास परिषद की वर्तमान वर्ष में पूर्वास्थिति कायम रखने तथा बी ए एल एल बी हेतु महाविद्यालय एवं अनुशंसाओं को नोट किया । यद्यपि, ऐसा करने में होने वाली कठिनाईयों की दृष्टि से सदन विधि विभाग, एस यू के इस सुझाव से सहमत हुआ कि अगले शैक्षणिक सत्र में बी बी ए - एल एल बी के प्रति स्थानांतरित किया जाए ।**
3. **विश्वविद्यालय के स्कूल बोर्डों में बी एड महाविद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले प्रविधि पत्रों का समावेशन**
   - **परिषद ने महाविद्यालय विकास परिषद की अनुशंसाओं का अनुमोदन किया ।**
4. **पाठ्यक्रमों में शिक्षक आवश्कयता**
   - **परिषद ने महाविद्यालय विकास परिषद की अनुशंसाओं का अनुमोदन किया ।**

परिषद ने यह भी निर्णय लिया कि अब से संबद्ध महाविद्यालयों से संबंधित सभी मामले पर सम्बद्धन समिति की अपेक्षा महाविद्यालय विकास परिषद द्वारा विचार किया जाएगा, जिसे कि एतदद्वारा निलंबित किया जाता है ।

**ए.सी 15.5.2: सम्बद्धता समिति की दिनांक 29 मई 2014 को आयोजित दूसरी बैठक के कार्यवृत्त**

परिषद ने बैठक के कार्यवृत्त पर विचार किया तथा निम्नलिखित अनुमोदन किया:

- सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, बुर्तुक को शैक्षणिक सत्र 2014-15 हेतु अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किया जाना ।
- परिषद ने सम्बद्धता समिति की लोयला कॉलेज ऑफ एजुकेशन, नाम्ची के प्रति स्थायी सम्बद्धता प्रदान किए जाने की अनुशंसा को स्वीकार किया ।
- परिषद ने सम्बद्धता समिति की सिक्किम सरकारी महाविद्यालय रेनॉक में शैक्षणिक सत्र 2014-15 मनोविज्ञान में बी एस सी तथा कंप्यूटर विज्ञान में बी एस सी प्रारंभ कने की अनुशंसा को भी स्वीकार किया ।
- परिषद ने निम्नलिखित महाविद्यालयों को शैक्षणिक सत्र 2014-15 हेतु अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किए जाने की अनुशंसा को भी स्वीकार किया :

- सिक्किम सरकारी बी एड महाविद्यालय, सोरंग
- हिमालियन फार्मेसी संस्थान, माझीटार
- सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, गेजिंग
- सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, रेनॉक
- सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, नाम्ची
- पामि पैलेटाइन कॉलेज, पक्योंग एवं
- डंबर सिंह महाविद्यालय

अस्थायी संबद्धता निरीक्षण रिपोर्ट में किए गए प्रेक्षणों के अनुपालन के शर्त पर होगी । परिषद ने यह भी निर्णय लिया कि निरीक्षण रिपोर्ट में किए गए प्रेक्षणों को प्राचार्यों, शासकीय निकाय के अध्यक्षों एवं उच्चतर शिक्षा निदेशालय को सुधार हेतु प्रेषित किया जाए, जैसा कि मामला हो ।

- परिषद ने सी डी सी की पाकिम पैलेटाइन कॉलेज एवं डंबर सिंह महाविद्यालय में महाविद्यालयों की धारणीयता का मूल्याकंन करने के लिए समग्र निरीक्षण हेतु एवं विशेष निरीक्षण दल गठित किए जाने की अनुशंसा का अनुमोदन किया ।
- परिषद ने यह भी अनुमोदित किया कि स्थायी सम्बद्धता प्रदान किए गए उन महाविद्यालयों का वर्ष प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार निरीक्षण किया जाए ।
- परिषद ने सम्बद्धता समिति की इस अनुशंसा का भी अनुमोदन किया कि मिशनरी/निजी महाविद्यालयों द्वारा छात्रों से प्रभारित शुल्क संरचना का भी शैक्षणिक सत्र 2015-16 से अनुपालन के पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित किया जाए । निजी महाविद्यालयों के शासकीय निकाय में नामित सदस्यों की

**भी समीक्षा की जाएगी तथा जहां कहीं संभव हो नए सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी ।**

## भाग-6

## अध्यक्ष महोदय से मदें

**ए.सी 15.6.1: शैक्षणिक □रिषद द्वारा अनुमोदन हेतु □रीक्षकों की सूची**

अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एवं एम.फिल /पी एच डी पाठ्यक्रमों हेतु परीक्षकों की सूची अध्यक्ष द्वारा सदन पटल पर रखी गई, जिसका परिषद द्वारा अनुमोदन किया गया ।

**ए.सी 15.6.2: □रीक्षा विभाग के अभिलेखों के लिए प्रतिधारण अवधि**

परिषद ने विचार विमर्श के बाद परीक्षा विभाग की निम्नलिखित अभिलेखाओं की प्रतिधारण अवधि का कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदन हेतु अनुशंसा किया :

| क्र. सं. | अभिलेखों की प्रकृति | प्रतिधारण अवधि |
|---|---|---|
| 1 | अप्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाएं | सेमेस्टर परिणाम घोषित होने के एक वर्ष के पश्चात |
| 2 | पुराने प्रश्न-पत्र | सेमेस्टर परीक्षा की समाप्ति के तत्काल बाद 110 प्रश्न पत्रों का एक समुच्चय स्थायी रूप से संरक्षित किया जाएगा । |
| 3 | प्रयुक्त पंजीकरण फार्म एवं प्राप्त माइग्रेशन प्रमाण पत्र की प्रतियां | पंजीकरण पूरा होने पर एक वर्ष के बाद |
| 4 | पुरोन सेमेस्टर प्रोग्राम कार्ड | सेमेस्टर परिणामों की घोषणा के तत्काल बाद |

**ए.सी 15.6.3: सम्बद्ध महाविद्यालयों में एम फिल/□ी एच डी की प्रस्तावना**

हिमालियन फार्मेसी संस्थान, माझीटार ने उल्लेख किया है कि संस्थान में पी एच डी प्रोग्राम किया जाता था, जब यह उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के साथ संबद्धता प्राप्त था । इसके संस्थान में फार्मेसी में पी एच डी कार्यक्रम की अनुमति की इच्दा व्यक्त की है । इसी प्रकार हर्कमाया कॉलेज ऑफ एजुकेशन ने भी विश्वविद्यालय मे एम फिल आरंभ किए जाने की मांग की है । इसी प्रकार से विभिन्न महाविद्यालयों में अर्हता प्राप्त शिक्षकगण, जिनमें डी बी टी, डी एस टी से परियोजनाएं कार्यरत हैं, जहां अनुसंधान शोधार्थी पी एच डी के लिए कार्य कर रहे हैं, इनमे सिक्किम विश्वविद्यालय से पर्यवेक्षक होंगे तथा परियोजना अन्वेषक संयुक्त पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करेंगे । परिषद ने इस मद पर विचार विमर्श किया । यह बतलाया कि कि डी बी टी, डी एस टी आदि की परियोजनाएं अनुसंधान परियोजनाएं है, तथा ये पी एच डी अथव एम फिल डिग्री हेतु नहीं है । परिषद ने विचार विमर्श के पश्चात अध्यक्ष को इस विषय की देखभाल हेतु एक समिति गठित करने के लिए प्राधिकृत किया ।

**ए.सी 15.6.4: सिक्किम विश्वविद्यालय के कर्मचारियों(शिक्षण एवं गैर शिक्षण) हेतु केंद्रीय सरकार नियमावली की अंगीकरण**

अध्यक्ष ने परिषद को सूचित किया कि सिक्किम विश्वविद्यालय की धारा 5 (xxiii) विश्वविद्यालय को सभी श्रेणी की सेवाओं के लिए सेवा शर्तें निर्धारित करने के लिए शक्ति सम्पन्न करता है, जिसमें उनकी आचरण संहिता सम्मिलित है। सांविधियां, अध्यादेश एवं विनियमावली में कर्मचारियों के सेवा शर्तों की सभी पहलूएं व्याप्त नहीं है । व्यवहार के तौर पर हमलोग भारत सरकार नियमावली का अनुसरण करते हैं, जहां कहीं अधिनियम/सांविधि/अध्यादेश/विनियमावली अनभिव्यकत है, एवं तदनुसर हमारे कर्मचारियों के लिए भारत सरकार नियमावली के औपचारिक अंगीकरण की मांग उन उद्देश्यों के लिए की गई है, जहां हमारे अधिनियम /सांविधियां/अध्यादेश/विनियमावली अनभिव्यक्त हैं ।

1. सामान्य वित्तीय नियमावली
2. मूल नियमावली
3. अनुपूरक नियमावली
4. केंद्रीय सिविल सेवाएं (आचरण) नियमावली
5. केंद्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली

अध्यक्ष ने यह भी सूचित किया कि इस विषय पर एस यू टी ए के कार्यपालकों के साथ दिनांक 23 मई 2014 को विचार विमर्श किया गया है । यद्यपि अंगीकरण हेतु वे अपनी अनुक्रिया में स्वीकारात्मक थे, परंतु वे इन्हें अपने केंद्रीय निकाय में विचार विमर्श के पश्चात रिपोर्ट देने की इच्छा रखते थे । यद्यपि, एस यू टी ए ने अपने दिनांक 9 जून 2014 के पत्र में कार्यसूची में दी गई सेवा नियमावली के अंगीकण को यह कह कर अस्वीकृत किया है कि, यह केंद्रीय सिविल सेवा कर्मचारियों के शासन हेतु निमित है, जिनका कार्य प्रधानत:प्रशासनिक होता है तथा केंद्रीय सिविल सेवा कर्मचारियों के शासन हेतु निमित नियमावली विश्वविद्यालय शिक्षकों की अनिवार्यता के अनुरूप नहीं भी हो सकती है । उन्होंने आगे सुझाव दिया है कि ऐसी नियमावली को अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों से अंगीकृत किया जाए अथवा स्वयं के लिए विकसित की जाए । अध्यक्ष ने सूचित किया कि अध्यादेशों में सेवा शर्तों के एक एक विवरण को समावेशित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है । तथापि, सेवा शर्तों को भारत सरकार की नीतियों के समनुरूप होनी चाहिए । जहां तक कि शैक्षणिक कार्यव्यवहार का प्रशन है, इसे विश्वविद्यालय की सांविधियों/अध्यादेशों /विनियमावली में स्पष्टता से उल्लेख किया गया है, तथा यू जी सी विनियमावली द्वारा अनुपूरित है । कुछ अन्य सदस्य थे, जो इन नियमावली के अंगीकरण के पक्ष में थे, क्योंकि कथित केंद्रीय सरकार नियमावली में कर्मचारियों के प्रति पर्याप्त संरक्षण प्राप्त है ।
कुछ सदस्यों ने इस पर विचार करने के लिए कुछ और समय दिए जाने की मांग की । सर्वसहमति बनाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया कि इस विषय को शैक्षणिक परिषद की अगली बैठक में पुन: उठाया जाएगा ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक समाप्त हुई ।

| | |
|---|---|
| ह0 | ह0 |
| (टी.के.कौल) | (टी.बी.सुब्बा) |
| रजिस्ट्रार एवं सचिव | कुलपति एवं अध्यक्ष |

**अनुलग्नक - 1**

**शैक्षणिक परिषद की बैठकों के लिए विनियमावली**

***(सि.वि. अधिनियम की धारा 23 एवं सांविधि 13)***

1. शैक्षणिक परिषद की बैठक साधारणत: एक कैलेंडर वर्ष में दो बार अथवा उतनी बार आयोजित की जाएगी, जैसा कि कुलपति द्वारा निर्णय लिया जाता है ।
2. कुलपति इसका अध्यक्ष एवं रजिस्ट्रार शैक्षणिक परिषद के सचिव होंगे ।
3. शैक्षणिक परिषद की बैठक की तारीख कुलपति द्वारा निर्धारित की जाएगी, जो कि शैक्षणिक परिषद के अध्यक्ष हैं ।
4. रजिस्ट्रार अध्यक्ष के निर्देशानुसार बैठक की सूचना बैठक के कम से कम 21 दिन पूर्व जारी करेगा, जिसमें बैठक के स्थान, तारीख एवं समय का उल्लेख किया जाएगा । बैठक में चर्चा हेतु कार्यसूची मदों को बैठक के कम से कम 7 दिन पूर्व परिचालित किया जाएगा । सदस्यों को ई-मेल के माध्यम से कार्यसूची भिजवाना इसका परिचालन माना जाएगा । बशर्ते कि यह अध्यक्ष के लिए प्रभावनीय होगा, कि वे अपने विवेकानुसार ऐसे मदों को , जो आकस्मिक एवं महत्वपूर्ण प्रकृति का है, तथा बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करता है । अध्यक्ष परिषद की राय से किसी मद(ओं) को वापस ले सकता है, जो कि बैठक में विचारार्थ पूर्व में परिचालित किया जा चुका है, तथा किसी मद को अगली बैठक में विचारार्थ विलंबित कर सकता है ।
5. शैक्षणिक परिषद की कोई विशेष बैठक रजिस्ट्रार द्वारा उस दिन आयोजित की जा सकती है, जिसका निर्धारण कुलपति के परामर्श से किया जाता है, जिसका निर्धारण कुलपति के परामर्श से किया जाता है, जिसके संबंध में शैक्षणिक परिषद के कुल सदस्यों में से 1/3 द्वारा लिखित रूप अनुरोध प्राप्त होता है । ऐसी विशेष बैठक के मांगकर्ता सदस्यगण को कार्यसूची मदों का उल्लेख करना आवश्यक होगा, जिस पर वे बैठक में चर्चा प्रस्तावित करते हैं, साथ ही विशेष बैठक में सिर्फ उन्हीं मदों पर चर्चा होगी ।

   बशर्ते कि किसी विशेष बैठक में सदस्यों में 1/3 की उपस्थिति अनिवार्य होगी, जो ऐसी बैठक के लिए मांग करते हैं ।
6. शैक्षणिक परिषद के वर्तमान सदस्यों में से एक तिहाई शैक्षणिक परिषद की बैठक हेतु कोरम का निर्माण करेंगे ।

   जहां शैक्षणिक परिषद की बैठक का विधिवत आयोजन किया जाता है, तथा बैठक के लिए निर्धारित समय से आधे घंटे के दौरान कोई कोरम उपस्थित नहीं होता है, बैठक अगले सप्ताह में इसी दिन एवं समय के लिए अथवा किसी अन्य दिन एवं ऐसे समय एवं स्थान के लिए स्थगित की जाएगी, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिया जाता है । आस्थगित बैठक की सूचना शैक्षणिक परिषद के सभी सदस्यों को प्रेषित की जाएगी । यदि आस्थगित

बैठक में भी निर्धारित समय के आधे घंटे के अंदर कोई कोरम उपस्थित नहीं होता हैतो उपस्थित सदस्यगण से ही कोरम का निर्माण हो जाएगा ।

यदि कार्यसूची मद(ओं) पर विचार विमर्श बैठक के दिन निर्णायक नहीं हो जाता है , तो बैठक की निरंतराता अगले दिन अथवा अन्य किसी दिन भी जारी रहेगी, जैसा कि अध्यक्ष निर्णय लेते हैं । नैरन्तर्य बैठक के लिए किसी कोरम की आवश्यकता नहीं होगी एवं इसका विचार विमर्श अध्यक्ष महोदय की अनुमति से उठाए गए विषय के अतिरिक्त सिर्फ परिचालित कार्यसूची तक ही प्रतिबंधित होगा ।

7. शैक्षणिक परिषद की बैठक में कार्यव्यवहार का संचालन अध्यक्ष द्वारा नियमित किया जाएगा ।
8. प्रत्येक सदस्य द्वारा बैठक के संचालन के दौरान शिष्टाचार का अनुपालन वांछित होगा तथा अपनी चर्चा एवं दृष्टिकोण विषय से संबंधित रखेंगे । यद्यपि वे उचित तरीके से अध्यक्ष द्वारा निर्णय लेने के लिए व्यवस्था से संबंधित प्रश्न उठा सकते हैं ।
9. साधारणत: सभी निर्णय सर्वानुमति से लिया जाएगा । यद्यपि, यदि ऐसी परिस्थिति हो, अध्यक्ष किसी प्रस्ताव को वोट के लिए रख सकता है तथा निर्णय बहुसंख्यक आधार पर होगा । बराबरी का मामला होने पर , अध्यक्ष कास्टिंग वोट का अधिकारी प्राप्त होगा ।
10. जहां किसी विषय पर शैक्षणिक परिषद द्वारा विचार किया जाना है, अध्यक्ष के लिए यह विचाराधीन होगा कि वे परिचालन द्वारा शैक्षणिक परिषद के सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करें । इस प्रसंग में ड्राफ्ट प्रस्ताव को स्पष्टकारी टिप्पणियों तथा इनसे संबंधित कागजातों एवं दस्तावेजों की प्रतियों के साथ साथ परिचालित किया जाएगा एवं यह शैक्षणिक परिषद के अधिकांश सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है, तो ड्राफ्ट प्रस्ताव को अनुमोदित माना जाएगा ।
11. बैठक के कार्यवृत्त रजिस्ट्रार द्वारा तैयार किए जाएंगे, जो कि इन्हें अध्यक्ष के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेंगे । अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित कार्यवृत्त सदस्यों के बीच उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किया जाएगा । सदस्यों से प्राप्त टिप्पणियों, यदि कोई हो, पर विचार शैक्षणिक परिषद की अगली बैठक में किया जाएगा, जहां इसकी पुष्टि कर ली जाएगी ।
12. पदेन के अतिरिक्त कोई सदस्य रजिस्ट्रार के प्रति एक माह की लिखित सूचना देकर पअनी सदस्यता से पदत्याग कर सकता है, तथा ऐसे सदस्य रजिस्ट्रार उनके त्यागपत्र प्राप्त करने की तारीख से सदस्य नहीं रह जाएंगे ।
13. इन विनियमावली में कोई संशोधन, निरस्तीकरण अथवा संयोजन करने का अधिकार कार्यकारी परिषद में निहित होगा ।
14. यह विनियमावली कार्यकारी परिषद द्वारा इनके अनुमोदन की तारीख से प्रवृत्त होगी ।